



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233456
CG-DL-E-16022022-233456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943

No. 49]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एसएसआर) 24/2021

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 7/29/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने 27 अप्रैल, 2016 को चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" (जिसे यहां आगे "एमोक्सी" अथवा "पीयूसी" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी तथा जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणाम संख्या 14/05/2015-डीजीएडी दिनांक 3 अप्रैल, 2017 द्वारा

निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की और केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 21/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

2. नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा और उसके ओर से किए गए विधिवत सिद्ध अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
3. मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया।
4. आवेदक द्वारा दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र के आधार पर प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर और नियमावली के नियम 23(ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जांच करते हुए कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 10 सितंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 7/29/2021-डीजीटीआर द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।
5. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों (जांच की शुरुआत की अधिसूचना फा. सं. 7/29/2021-डीजीटीआर दिनांक 10 सितंबर, 2021 में परिभाषित किये गये अनुसार) के आयातों से संबंधित पिछली जांच के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

6. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व वर्तमान आवेदन पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 सितंबर, 2021 की अधिसूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने दिनांक 10 सितंबर, 2021 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।
- घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों सहित भेजी गई थी।

- च. प्राधिकारी ने संगत सूचना मंगाने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजीं:
- (i) मैसर्स नॉर्थ चाइना फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स सीएसपीसी इनर मंगोलिया चांगशेंग फार्मा कंपनी लिमिटेड
 - (iii) मैसर्स झेजियांग मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट आईएंडई कं.
 - (iv) मैसर्स शंघाई सनराइज केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (v) मैसर्स टीम क्राउन ट्रेडिंग लिमिटेड
- छ. निम्नलिखित कंपनियों ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों के रूप में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:
- (i) मैसर्स इनर मंगोलिया चांगशेंग कं, लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ज. प्राधिकारी ने अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों को भेजी और उन्हें नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने ज्ञात विचार देने की सलाह दी:
- (i) मैसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड
 - (ii) मैसर्स मैक्सहील फार्मास्युटिकल्स (इंडिया) लिमिटेड
 - (iii) मैसर्स लेबोरेट फार्मास्युटिकल इंडिया लिमिटेड
 - (iv) मैसर्स कोपरान लिमिटेड
 - (v) मैसर्स मेडी फार्मा ड्रग हाउस
 - (vi) मैसर्स अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - (vii) मैसर्स मेडिसेफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 - (viii) मैसर्स टुटन फार्मास्युटिकल्स
 - (ix) मैसर्स फ्लेमिंगो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 - (x) मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - (xi) मैसर्स अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड
 - (xii) मैसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
 - (xiii) मैसर्स लेबोरेट फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड
 - (xiv) मैसर्स सिप्ला लिमिटेड
 - (xv) मैसर्स एबट इंडिया लिमिटेड
 - (xvi) मैसर्स मैक्लॉड्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 - (xvii) मैसर्स मेड्रिच लिमिटेड
- झ. संबद्ध सामान के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर नहीं दिए हैं अथवा दायर नहीं किये हैं।
- ञ. भारत में संबद्ध सामानों के अन्य ज्ञात उत्पादकों को जांच में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए पत्र भेजे गए थे।

- ट. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल 2017-मार्च 2018, अप्रैल 2018- मार्च 2019, अप्रैल 2019-मार्च 2020 और जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों के लिए और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना के लिए डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ड. घरेलू उद्योग और संबद्ध देश में उत्तरदाता उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना और प्रस्तुत आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए केवल आवश्यक सुधार के साथ उस सत्यापित सूचना, जहां कहीं लागू हो, पर ही विश्वास किया गया है।
- ढ. क्षतिरहित कीमत (जिसे यहां आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर निकाली गई है।
- ण. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए 8 दिसंबर, 2021 को मौखिक सुनवाई की। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई की गई। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें ताकि विरोधी हितबद्ध पक्षकार इसके बाद प्रत्युत्तर दायर कर सकें।
- त. इस जांच प्रक्रिया और मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिए गए हैं।
- थ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- द. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- ध. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के अनिवार्य तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 1 फरवरी, 2022 के प्रकटन विवरण द्वारा प्रकट किए गए थे और उन पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई प्राप्त टिप्पणियों को इन अंतिम जांच परिणामों में हल कर दिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर प्रकटन पश्चात अनुरोध उनके पूर्व अनुरोधों की केवल पुनरावृत्ति हैं। तथापि, संगत मानी गई सीमा तक प्रकटन पश्चात अनुरोधों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- न. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.22 रुपये ली गई है।
- प. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार वर्णित है:

6. जांच में विचाराधीन उत्पाद "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" है जिसे "एमोक्सिसिलिन" भी कहा जाता है। एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट एक अर्ध सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलीन का एक एनालॉग है, जिसमें कई ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्मजीवों के खिलाफ जीवाणुनाशक क्रियाकलाप का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है:

- (i) एमोक्सिसिलिन सोडियम स्टेरिल और फ्लुक्लोक्सासिलिन सोडियम स्टेरिल
- (ii) एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्टेड एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्टेड और
- (iii) एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और क्लारालेनेट पोटेशियम।

7. एमोक्सिसिलिन का प्रयोग दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के बढ़ने को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन और अन्य जीवाणुरोधी दवाओं की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, एमोक्सिसिलिन का प्रयोग केवल उन संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए जो बैक्टीरिया के कारण सिद्ध या मजबूती से संदिग्ध हैं।

8. एमोक्सिसिलिन एक कार्बनिक रसायन होने के कारण उपशीर्ष 29411030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. इस जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और आवेदन पत्र का समर्थन करने वाली कंपनियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निष्कर्ष निकाला था कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान घरेलू बाजार में आयात किए जाने वाले सामानों की समान वस्तु है।

ख. प्रौद्योगिकी के संबंध में विचाराधीन उत्पाद में कोई बड़ा विकास नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु बना हुआ है।

ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर कोई आपत्ति नहीं की है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किये हैं। अतः, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो नीचे दी गई जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया था।

6. जांच में विचाराधीन उत्पाद "एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट" है जिसे "एमोक्सिसिलिन" भी कहा जाता है। एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट एक अर्ध सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, एम्पीसिलीन का एक एनालॉग है, जिसमें कई ग्राम-पॉजिटिव और ग्राम-नेगेटिव सूक्ष्मजीवों के खिलाफ जीवाणुनाशक क्रियाकलाप का एक व्यापक स्पेक्ट्रम है। तथापि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है:

- (i) एमोक्सिसिलिन सोडियम स्टेरिल और फ्लुक्लोक्सासिलिन सोडियम स्टेरिल
- (ii) एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्टेड एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट कॉम्पैक्टेड और
- (iii) एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट और क्लारालेनेट पोटेशियम।

7. एमोक्सिसिलिन का प्रयोग दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के बढ़ने को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिसिलिन और अन्य जीवाणुरोधी दवाओं की प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए, एमोक्सिसिलिन का

प्रयोग केवल उन संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए जो बैक्टीरिया के कारण सिद्ध या मजबूती से संदिग्ध हैं।

8. एमोक्सिसिलिन एक कार्बनिक रसायन होने के कारण उपशीर्ष 29411030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने दावा किया है कि भारत को निर्यातित संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को संबद्ध देश से आयात किए जा रहे संबद्ध सामान की 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक कंपनी के आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और आवेदन पत्र का समर्थन करने वाली कंपनियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. मैसर्स अरबिंदो फार्मा ने प्राधिकारी को शुल्क बढ़ाए जाने के अनुरोध के साथ सभी संगत आंकड़े प्रदान किए हैं।

ख. आवेदक भारत में संबद्ध सामान के आठ उत्पादकों में से एक है।

ग. आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है।

घ. आवेदक न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामान के निर्यातक से संबंधित है और न ही भारत में संबद्ध सामान के आयातकों से संबद्ध है।

ड. आवेदन पत्र का समर्थन भारत में संबद्ध सामानों के दो अन्य उत्पादकों द्वारा किया गया है - (क) सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और (ख) पेनम लेबोरेटरीज लिमिटेड।

च. आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 30% है। आवेदकों और समर्थकों का भारतीय उत्पादन में 65% हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र का कोई विरोध नहीं है।

छ. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

ज. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के आधार का विरोध नहीं किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. वर्तमान आवेदन पत्र मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन पत्र दायर करने के बाद और जांच शुरू होने से पूर्व, आवेदन पत्र का सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पेनम लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा समर्थन किया गया था। सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मौखिक

सुनवाई में भाग लिया, सुनवाई के दौरान अनुरोध किए और उसके बाद अपने समर्थन को दोहराते हुए लिखित अनुरोध भी दायर किए। कंपनी ने अपने प्रचालन के संबंध में सीमित सूचना भी प्रदान की है।

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आधार की निर्णायक समीक्षा के दौरान जांच करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब घरेलू उद्योग के घटक वही रहें। फिर भी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों का और समर्थकों का हिस्सा संचयी रूप से घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है।
17. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि अरबिंदो फार्मा लिमिटेड नियमावली के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है। इसके अतिरिक्त, चूंकि सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने केवल सीमित सूचना दायर की है, अतः कंपनी को वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना गया है।

ड. विविध अनुरोध

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. उत्तरदाता उत्पादक और निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की अंतिम तिथि के 25 दिन बाद उत्तर दायर किया। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर भी एक उचित अवधि के भीतर दायर किये गये थे और नियम 6(8) की अपेक्षाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है और इसीलिए, प्राधिकारी की अंतर्निहित विवेकाधीन अधिकारों के तहत उत्तर को रिकार्ड में लिया जाना चाहिए।
 - ख. प्राधिकारी किसी पक्षकार द्वारा दायर की गई सूचना को केवल इस कारण से अस्वीकार करने के हकदार नहीं हैं कि इसे प्रश्नावली के उत्तर के लिए निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत किया गया था।
 - ग. 25 दिनों की देरी नगण्य है। उत्तरदाता निर्यातक ने किसी महत्वपूर्ण तरीके से जांच में बाधा नहीं डाली है।
 - घ. इस अनुरोध पर कि निर्णायक समीक्षा प्रश्नावली के भाग-II को उत्तरदाता विदेशी उत्पादक और निर्यातक द्वारा तथाकथित रूप से मिस किया गया था, यह अनुरोध है कि इसे पक्षकारों द्वारा दायर लिखित अनुरोधों के अनुबंधों के रूप में संलग्न किया गया था।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

19. जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
 - क. देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में फार्मा दवाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं और नागरिकों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। किसी भी व्यवधान का देश की दवा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - ख. भारत सरकार भारतीय दवा उद्योग को आत्मनिर्भर उद्योग बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, और एमोक्सिसिलिन एक पात्र एपीआई और पेनिसिलिन-जी और 6-एपीए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) के रूप में है।
 - ग. 1,392 करोड़ रुपये के लिए आवेदक के पेनिसिलिन जी का 15,000 मीट्रिक टन संयंत्र, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यदि शुल्क नहीं बढ़ाये जाते हैं, तो चीनी उत्पादक देश में पाटन करेंगे जिससे न केवल संबद्ध सामानों की अर्थक्षमता को खतरा होगा बल्कि पिछड़े एकीकरण की दिशा में जाने वाले सभी प्रयास भी विफल हो जाएंगे।
 - घ. फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा गठित औषध सुरक्षा समिति ने 53 एपीआई की पहचान की, जिसके लिए देश भारी मात्रों में आयातों पर निर्भर है। ऐसे अभिज्ञात एपीआई की सूची में एमोक्सिसिलिन शामिल है।

- ड. उत्तरदाता उत्पादक ने प्रश्नावली के भाग-II का उत्तर दायर नहीं किया है। यहां तक कि जब निर्यातक को निर्णायक समीक्षा जांच में प्रश्नावली के भाग-II की संगतता और महत्व के बारे में पूरी जानकारी है, तब भी उसने इसे दायर न करने का विकल्प चुना है।
- च. या तो निर्यातक को निर्णायक समीक्षा भाग-II दायर करने के लिए कहा जाए, या उसे असहयोगी घोषित किया जाए।
- छ. भाग-I में भारत को छोड़कर अन्य देशों को निर्यात से संबंधित सूचना मांगे जाने के प्रश्न के उत्तर में, उत्तरदाता ने निर्यात परिशिष्टों का उल्लेख किया है। तथापि, दायर किए गए अगोपनीय उत्तर के अनुसार, ऐसा कोई परिशिष्ट दायर नहीं किया गया है।
- ज. विदेशी उत्पादक/निर्यातक को पूरी सूचना दायर करने के लिए कहा जाना चाहिए, या इसे असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए।
- झ. यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा गुणवत्ता के कारण 2018 में यूरोपीय संघ को उत्तरदाता के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तथापि उत्तर में ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।
- ञ. उत्तरदाता को देश में कुल मांग के बारे में सूचना प्रदान करना अपेक्षित था, लेकिन आवेदक के साथ साझा किए गए अगोपनीय उत्तर के अनुसार, कुल मांग में निर्यात की मात्रा भी शामिल है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. इनर मंगालिया चांगशेन कंपनी लिमिटेड को छोड़कर, चीन जन.गण. के किसी भी अन्य उत्पादक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इनर मंगालिया चांगशेन कंपनी लिमिटेड ने भी विलंब से उत्तर प्रस्तुत किया है। प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में विलंब के संबंध में उनके अनुरोध पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह उपयुक्त नहीं है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार किया जाए क्योंकि (क) इसमें बहुत अधिक विलंब हो गया है (ख) कोई विश्वसनीय कारण इतने विलंब के चरण में उत्तर को प्रस्तुत करने का कारण बताते हुए नहीं दिया गया है (ग) प्रश्नावली के उत्तर में बहुत अधिक कमियां हैं और इसमें संभावना के निर्धारण के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण सूचना शामिल नहीं है (घ) संभावना के विश्लेषण के लिए संगत सूचना जिसे मौखिक सुनवाई किए जाने के बाद ही प्रस्तुत किया गया था, अपर्याप्त और अविश्वसनीय है क्योंकि सभी संगत वर्षों के लिए समान उत्पादन की सूचना दी गई है। ऊपर में उल्लेख किए गए तथ्यों पर विचार करते हुए, इसे उपयुक्त माना गया है कि इनर मंगालिया चांगशेन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाए।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 सामान्य मूल्य

21. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक के दावों से ही पता चलता है कि मूल मामले से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में भारी गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अब आवश्यकता नहीं है।

च.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की आवश्यकता है। चूंकि चीन के एकमात्र उत्तरदाता उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया, अतः प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित है।

ख. भारत में कुल आयात में यूरोपीय संघ की 13% हिस्सेदारी है। चूंकि पूरी क्षति अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से भारत में संबद्ध सामानों का काफी आयात हुआ है, अतः यूरोपीय संघ से भारत को निर्यात कीमत को चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य माना जाना चाहिए।

ग. उत्तरदाता उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।

घ. यूरोपीय संघ से शेष विश्व के लिए निर्यात कीमत को नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि यूरोपीय संघ में सीमा शुल्क वर्गीकरण विचाराधीन उत्पाद के लिए समर्पित नहीं है और कई अलग-अलग उत्पाद इस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं।

ङ. गैर-संबद्ध देश से आयातों पर विचार करने के दृष्टिकोण पर प्राधिकारी द्वारा अन्य विभिन्न जांचों में सामान्य मूल्य के लिए विचार किया गया है।

च. आवेदक द्वारा यूरोपीय संघ की निर्यात कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में प्रयोग करते हुए परिकलित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि काफी भी है। यह दर्शाता है कि पाटन जारी रहा है।

च.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के पैरा 20 में उल्लिखित कारणों से प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार नहीं किया है।

क. इनर मंगोलिया चांगशेंग कंपनी लिमिटेड

ख. सिनोब्राइट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

च.4.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

चीन जन. गण.

25. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग

करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैं:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप-पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अतिरिक्त, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

26. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए उपबंध 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में उल्लिखित अवधारणाओं का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होती है, जो निम्नलिखित रूप में पठित है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित

मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

28. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित किया गया है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत के आधार पर किया जाएगा, या भारत सहित किसी भी देश से अन्य देशों को कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, किसी भी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त कीमत अथवा देय कीमत शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित की जाएगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण पैरा 7 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है।
29. आवेदक ने यूरोपीय संघ से भारत में संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का भी दावा किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सेसटेट के निर्णय को नोट करते हैं, जिसमें यह माना गया था कि जब सामान्य मूल्य एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश भारत को निर्यातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के निर्धारण के लिए संगत मानदंड उस देश से निर्यातों की मात्रा होती है और यह कि वह देश जांच की अवधि के दौरान पाटन न करे। यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध सामानों का लगभग 12% आयात यूरोपीय संघ से है, जो न्यूनतम सीमा से अधिक है, और कोई पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और इस प्रकार यूरोपीय संघ से आयातों को पाटित आयात नहीं माना जा सकता। अतः, यूरोपीय संघ से सीआईएफ कीमत प्रकृति में प्रतिनिधिकारक है। तदनुसार, प्राधिकारी यूरोपीय संघ से भारत में आयात कीमत के आधार पर चीन जन. गण.दी गण के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं।
30. सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, यूरोपीय संघ से भारत में आयात कीमत को कारखानागत कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा और पत्तन प्रभारों, बैंक प्रभारों आदि के निमित्त अन्य समायोजनों के साथ समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.4.2 निर्यात कीमत

चीन जन. गण.

इनर मंगोलिया चांगशेंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

31. चूंकि चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक इनर मंगोलिया चांगशेंग कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को ऊपर उल्लिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है, अतः निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएस द्वारा दिए गए आंकड़ों से निर्धारित किए गए अनुसार भारतीय सीमा शुल्क आंकड़ों में सूचित आयात कीमत के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण उचित समायोजन करने के बाद किया गया है, और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

च.4.3 पाटन मार्जिन

32. ऊपर उल्लिखितानुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के लिए पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्रम सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		अमे. डॉ./ कि. ग्रा.	अमे. डॉ./ कि. ग्रा.	अमे. डॉ./ कि. ग्रा.	%	%
1	चीन का कोई उत्पादक/ निर्यातक	***	***	***	***	55-65%

छ. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क की जांच**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

33. क्षति एवं कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- जांच की अवधि तक आयात मात्रा में गिरावट आई है जबकि आधार वर्ष में कीमत 1530 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1848 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।
- कीमत की प्रवृत्ति जब शुल्क पहले से ही लागू है, यह दर्शाती है कि निर्यातक समय-समय पर कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं।
- मात्रात्मक मानदंडों में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ने कीमत मानदंडों में वृद्धि देखी है।
- घरेलू उद्योग आयातों से किसी कीमत दबाव में नहीं है।
- जब शुल्क लागू हो तो क्षति संबंधी प्रश्नों से बचने के लिए आवेदक वर्तमान क्षति के कारण पर मौन रहना चाहता है। ऐसी क्षति के अन्य कारणों की पहचान किए जाने की आवश्यकता है ताकि संभावना की भी निष्पक्ष जांच की जा सके।
- कोविड-19 सहित आयातों के अलावा अन्य कारणों से भी आवेदक का निष्पादन प्रभावित हुआ है और ऐसे अन्य कारणों से निरंतर क्षति की संभावना है क्योंकि महामारी अभी भी जारी है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- 2017 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है।
- संबद्ध सामानों के शुल्क प्रदत्त पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत से अधिक कीमत वसूल करने में सक्षम बनाया है।
- यद्यपि मात्रात्मक मानदंड जांच की अवधि में गिरावट दर्शाते हैं, तथापि यह संबद्ध सामान की मांग में गिरावट के कारण है।
- वर्ष 2019-20 तक संबद्ध सामानों की मांग बढ़ी लेकिन कोविड-19 के कारण जांच की प्रस्तावित अवधि में उसमें गिरावट आई।
- जांच की अवधि में मांग में गिरावट के कारण आयातों में गिरावट आई है।
- 2019-20 को छोड़कर सभी वर्षों में कीमत कटौती सकारात्मक है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन क्षमता से काफी कम था और घरेलू बिक्री भी उत्पादन से कम थी।
- 2019-20 को छोड़कर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रति यूनिट लाभ में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई।
- पेनिसिलिन जी और 6-एपीए की चीनी पाटन से आवेदक का उत्पादन गैर-अर्थक्षम हो गया, और इसने 6-एपीए का उत्पादन बंद कर दिया। घरेलू उद्योग आयातित 6 एपीए से विचाराधीन उत्पाद बना रहा है।

- ट. आवेदक की वर्तमान लाभप्रदता केवल इस तथ्य के कारण उचित प्रतीत होती है कि घरेलू उद्योग बाजार से 6 एपीए ले रहा है और फिर संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए इसे प्रसंस्कृत कर रहा है और यह विचाराधीन उत्पाद के पाटन से भी संरक्षित है।
- ठ. पेनिसिलिन जी, 6-एपीए और फिर एमोक्सी के उत्पादन में भी वर्तमान में कोई अर्थक्षमता नहीं है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस उद्योग में पीएलआई प्रोत्साहन की आवश्यकता को स्वीकार किया है।
- ड. यदि घरेलू उद्योग कैप्टिव रूप से पेनिसिलिन जी और फिर 6-एपीए का उत्पादन करता और फिर एमोक्सी के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल करता, तो उसे हानियां उठाना पड़तीं।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत में वृद्धि रोकना है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
36. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने मौजूदा शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना की जांच करने की कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।
37. सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने क्षति अवधि के लिए क्षमता, उत्पादन, बिक्री, बिक्री कीमत, बिक्री लागत और प्रति यूनिट लाभ के बारे में सूचना दी है। तथापि, चूंकि पूरी लागत संबंधी सूचना नहीं दी गई है, अतः प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सेंट्रिएंट फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रति यूनिट बिक्री कीमत, बिक्री लागत और लाभ पर विचार नहीं किया है। भारतीय उत्पादन और मांग के परिकलन के लिए उत्पादन और घरेलू बिक्री संबंधी सूचना पर विचार किया गया है।
38. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों एवं लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यथातथ्यतः घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को हल करता है।

छ.3.1 मांग का मूल्यांकन

39. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की मात्रा के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	आवेदक की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	112	55
2	समर्थकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	106	100

3	अन्य उत्पादकों की विक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	188	263	104
4	चीन जन. गण. से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	115	95
5	अन्य देशों से आयात	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	23	64
6	मांग	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	132	81

यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग वर्ष 2019-20 तक बढ़ी लेकिन जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह गिरावट कोविड-19 के कारण मांग में संकुचन के कारण आई है।

छ.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

40. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश चीन जन. गण.	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	115	95
2	निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध देश से आयात -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	91	116
ख	मांग/खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	87	118
ग	कुल आयात		75-85	90-100	90-100	80-90

41. यह देखा जाता है कि वर्ष 2018-19 में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। तथापि, उसके बाद वर्ष 2019-20 में आयातों में गिरावट आई और जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई। पाटित आयातों में गिरावट का कारण मांग में कमी तथा पाटनरोधी शुल्क लागू होना है। जबकि आयातों में पूर्ण रूप से गिरावट आई है, तथापि वे जांच की अवधि में सापेक्ष रूप में बढ़े हैं।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

42. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है, या इस तरह के आयात अन्यथा कीमतों का ह्रास करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए हैं, जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।
43. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

44. कीमत कटौती का निर्धारण संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की भारत में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से तुलना करके किया गया है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री वसूली	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
2	पहुंच कीमत	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
3	कीमत कटौती	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	(0-10)%	0-10%

45. यह देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ख. कीमत न्यूनीकरण/ह्रास

46. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का ह्रास करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा काफी मात्रा में हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जांच की है।

क्रम सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	109	118
2	बिक्री कीमत	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	99	109
3	पहुंच कीमत	₹/कि. ग्रा.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	118	121

47. यह देखा गया है कि बिक्री की लागत, बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत सबमें जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। आयातों का आवेदक की कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

48. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

49. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	108	108
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	117	55
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	108	51
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	112	55

50. यह देखा गया है कि: -

- क) घरेलू उद्योग ने वर्ष 2019-20 में अपनी क्षमता बढ़ाई है।
 ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई, उसके बाद वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई, परंतु जाँच की अवधि के दौरान इसमें फिर से गिरावट आ गई है।
 ग) जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में गिरावट मांग में गिरावट आने के कारण हुई है।

ख. माँग में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी

51. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	आवेदक की हिस्सेदारी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	85	68
2	समर्थकों की हिस्सेदारी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	80	124
3	अन्य भारतीय उत्पादकों की हिस्सेदारी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	199	129
4	चीन से आयातों की हिस्सेदारी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	87	118
5	अन्य देशों से आयातों की हिस्सेदारी	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	18	79

52. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी और संबद्ध देशों से आयातों में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव हुआ है जिससे क्षति की अवधि के दौरान स्पष्ट प्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता।

ग. मालसूची

53. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे दी गई है: -

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	शुरुआती मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	समापन पर मालसूची	एमटी	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	139	217

54. यह देखा गया है कि वर्ष 2018-1209 में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध मालसूची में गिरावट आई। हालांकि उसके बाद वर्ष 2019-20 में फिर से उपलब्ध मालसूची में वृद्धि हुई और जाँच की अवधि में इसमें और वृद्धि हुई।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय।

55. लाभ, नकद लाभ और निवेश की गई पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जाँच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	बिक्री की लागत	₹/किग्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	109	118
2	बिक्री कीमत	₹/किग्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	99	109
3	लाभ/हानि	₹/किग्रा	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	62	75
4	लाभ/हानि	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	69	41
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	51	70	42
6	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	81	41
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	75	74

56. जाँच की अवधि में लाभ, नकद लाभ, व्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) में बहुत तेजी से गिरावट आई है। हालांकि गिरावट आंशिक रूप से मांग में गिरावट के कारण भी है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

57. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जाँच की गई थी।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	113	97
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	91	69
3	उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	117	55
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	103	57

58. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में वर्ष 2019-20 तक वृद्धि हुई परंतु जाँच की अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वेतन और पारिश्रमिक में गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई, वर्ष 2019-20 में वृद्धि हुई, परंतु फिर से जाँच की अवधि में इसमें गिरावट आई।

च. वृद्धि

59. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि के मापदण्डों की जाँच नीचे दर्शाई गई है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	उत्पादन	वाई/वाई	-18%	42%	-53%
2	बिक्री	वाई/वाई	-18%	32%	-53%
3	लाभ/(हानि) प्रति इकाई	वाई/वाई	-41%	5%	21%
4	माल की उपलब्धता	वाई/वाई	-35%	114%	56%
5	बाजार हिस्सेदारी	वाई/वाई	-25%	13%	-19%
6	कर-पूर्व लाभ	वाई/वाई	-50%	38%	-40%
7	नकद लाभ	वाई/वाई	-49%	37%	-39%
8	पीबीआईटी	वाई/वाई	-43%	42%	-50%
9	आरओआई	वाई/वाई	-42%	29%	-1%

60. घरेलू उद्योग ने प्रति इकाई लाभ में सकारात्मक वृद्धि रिकॉर्ड की है। अन्य सभी मापदण्डों में माँग में कमी के कारण नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ. पाटन की मात्रा

61. यह देखा जा सकता है कि पाटन का अंतर न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि उल्लेखनीय है।

ज. नए सिरे से पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

62. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का वर्तमान प्रदर्शन आगे के निवेश के लिए नए सिरे से पूँजी लाने के लिए पर्याप्त है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

63. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से यह सुनिश्चित हुआ है कि पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो।

क्षति के संबंध में निष्कर्ष

64. समग्र विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग क्षति से पूरी तरह उबर नहीं पाया है।

ज. कारणात्मक संबंध

65. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा उसे क्षति होने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही मूल जांच में की जा चुकी है, प्राधिकारी ने अभी भी इस तथ्य की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा हुई क्षति में योगदान किए जाने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

66. संबद्ध देश के अतिरिक्त यूरोपीय संघ से न्यूनतम सीमा से अधिक मात्रा में आयात हुए हैं। हालांकि यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ से आयातों की सामान पहुंचने तक की कीमत, बिक्री की कीमत और घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी अधिक है। इसलिए तीसरे देशों से आयात घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति पहुंचा रहे हैं और न ही क्षति पहुंचाने की संभावना है।

ख. माँग में कमी और/या खपत की पद्धति में परिवर्तन

67. यह देखा गया है कि जाँच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की माँग में कमी आई है। जाँच की अवधि में माँग आधार वर्ष और 2019-20 में माँग से काफी कम थी। आवेदक ने उल्लेख किया है कि माँग में कमी कोविड-19 के कारण हुई है। इस प्रकार माँग में यह कमी अस्थायी है और महामारी के बाद माँग के वापस सामान्य होने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार कभी भी यह स्थिति क्षति का एक कारण नहीं हो सकती।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता उत्पादक ने यह भी उल्लेख नहीं किया है कि प्रौद्योगिकी में कोई विकास हुआ है। इसलिए यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो सके।

घ. व्यापार प्रतिबंधक पद्धतियाँ

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधक पद्धति लागू नहीं है। इसलिए यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो सके।

ड. निर्यात निष्पादन

70. यह देखा गया है कि जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के निर्यातों में भी गिरावट आई है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन में कोई संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को होने वाले क्षति का कारण नहीं हो सकती।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

71. प्राधिकारी ने जाँच में केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन को क्षति के विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए इसे क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

72. प्राधिकारी ने यथासंशोधित पाटनरोधी नियमों और अनुलग्नक-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी जाँच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कारवाई गई और पेशेवर लेखाकार द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपना कर निर्धारित की गई है। क्षति के अंतर की गणना करने के लिए संबद्ध देश से सामान पहुँचने तक की कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए क्षति की अवधि में कच्चे माल और सुविधाओं के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत में से असाधारण और गैर-आवृत्ति व्यय को बाहर रखा गया है। नियमों के अनुलग्नक III में उल्लिखित एनआईपी निर्धारित करने हेतु पीयूसी के लिए निवेशित औसत पूँजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित संपत्ति और औसत कार्यशील पूँजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में माना गया था।
73. ऊपर में निर्धारित एनआईपी और पहुँच कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	पहुँच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		अमेरिकी डॉलर/ किग्रा	अमेरिकी डॉलर/ किग्रा	अमेरिकी डॉलर/ किग्रा	%	%
1	चीन का कोई उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	5-15%

ञ. क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना**ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

74. जाँच के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) निर्यात की ओर अधिक झुकाव के दावे की पुष्टि नहीं की गई है। उत्तरदाता उत्पादक के लिए जाँच की अवधि के दौरान उनके उत्पादन का केवल 40-45% हिस्सा निर्यात किया गया था और यह प्रतिशत निर्यात की ओर झुकाव को नहीं दर्शाता।
- ख) भारतीय प्राधिकारी निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) और यहाँ तक कि अत्यधिक निर्यात वाले उत्पादकों को भी शुल्क लागू करने के लिए पात्र घरेलू उत्पादक मानते हैं और इस संदर्भ में 40-45% निर्यात को निर्यात की ओर अत्यधिक झुकाव कहने का कोई अर्थ नहीं है।
- ग) आवेदक द्वारा जिन देशव्यापी आंकड़ों का दावा किया गया है वे दर्शाते हैं कि जाँच की अवधि के दौरान लगभग 56% उत्पादन का निर्यात किया गया था जबकि यह वर्ष 2019 के दौरान केवल 42% था।
- घ) यहाँ तक कि तीसरे देशों को निर्यात के मामले में भी जाँच की अवधि में कीमतें 89 पॉइंट्स से 90 पॉइंट्स तक गई।
- ङ) उत्पादक द्वारा उपलब्ध कारवाई गई जानकारी और पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II के खंड (vii) के अनुसार मापदंडों की जाँच करने पर यह पता चलता है कि कोई भी मापदंड शुल्क की अवधि समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने पर निर्यात के मामले में पाटन और क्षति की संभावना नहीं दर्शाता और याचिकाकर्ता द्वारा इसके विपरीत किए गए दावों की पुष्टि नहीं की जाती है।
- च) आवेदक ने जिन आंकड़ों को आधार बनाया है वे यह नहीं दर्शाते कि शुल्क की अवधि समाप्त होने की स्थिति में अधिक क्षमता को भारत की ओर डायवर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि इन क्षमताओं की खपत के लिए कोई बाजार नहीं है।

- छ) उत्तरदाता उत्पादक के मामले में 90% से अधिक का क्षमता उपयोग किया गया था जिसके बाद अधिक क्षमता निष्क्रिय नहीं रहती और यह देश-स्तर पर भी लागू होता है।
- ज) आवेदक ने दावा किया है कि वर्ष 2019 में न्यूनतम निष्क्रिय क्षमता 7% थी। इस अवधि के दौरान निर्यात 12800 एमटी था जो दर्शाता है कि संबद्ध देश के पास मजबूत घरेलू बाजार है और यह निर्यात बाजार पर निर्भर नहीं है।
- झ) वर्ष 2018 के दौरान 12587 एमटी के साथ निर्यात कम था जब निष्क्रिय क्षमता 28% के साथ उच्चतम थी जो दर्शाता है कि निर्यातक ऐसी किन्हीं निष्क्रिय क्षमताओं के दबाव में नहीं हैं जिसके कारण उन्हें निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने के लिए पाटित दरों पर निर्यात करना पड़े।
- ञ) आवेदक यह नहीं दर्शा पाए कि मौजूदा शुल्क की अवधि समाप्त करने से किसी भी तरह से नियम 23 (1बी) में परिकल्पित किए गए अनुसार घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

75. जाँच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

- क) चीन में 40% से अधिक उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है। भारत एक आकर्षक बाजार है, इसलिए निर्यात-उन्मुखी उत्पादक अपने अधिक उत्पादन को भारत लाने का प्रयास करेंगे।
- ख) चीन में वर्ष 2020 में 27% तक की उल्लेखनीय निष्क्रिय क्षमताएँ हैं। इसलिए चीन के उत्पादक हमेशा अपनी निष्क्रिय क्षमता का उपयोग करने के लिए अन्य बाजारों में जाने का प्रयास करेंगे। शुल्क समाप्त करने से भारत में आयात के दरवाजे खुल जाएंगे जो अंत में घरेलू बाजार पर अपना अधिकार जमा लेंगे।
- ग) चीन से कुल निर्यात में भारत को किए जाने वाले निर्यात का हिस्सा 7% है और भारत को किए जाने वाले निर्यात की कीमत अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात से अधिक होती है। शुल्क समाप्त करने से चीन के उत्पादकों को अपने कम-कीमत के निर्यात को भारत की ओर डायवर्ट करने का अवसर मिल जाएगा।
- घ) भारत सक्रिय औषधीय घटकों का शुद्ध आयातक है, और भारतीय औषधि उद्योग दवाइयों के उत्पादन के लिए एपीआई के आयात पर अत्यधिक निर्भर है। इस प्रकार शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति देने से एपीआई के सबसे बड़े निर्माता और निर्यातक (चीन) के लिए भारत एक आकर्षक बाजार विकल्प बन जाएगा।
- ङ) चीन की सरकार औषधि निर्माण के क्षेत्र में नए उत्पाद और प्रक्रियाएँ विकसित करने को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी, कर छूट और विशेष अनुसंधान एवं विकास पार्क्स की स्थापना के माध्यम से सक्रिय औषधीय घटक उद्योग को अत्यधिक बढ़ावा दे रही है। चीन के उत्पादकों के सामने अधिक क्षमताओं की समस्या है और अधिक क्षमताएँ जुड़ने से ये उत्पादक अपने उत्पादन को निर्यात बाजार में भेजने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- च) चीन जनवादी गणराज्य से तृतीय देशों को किए जाने वाला लगभग संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर किया जाता है। इसलिए चीन के उत्पादक न केवल भारतीय बाजार में बल्कि दूसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं।
- छ) चीन जनवादी गणराज्य द्वारा तृतीय देशों को किए जाने वाला 51% निर्यात क्षति रहित कीमतों पर किया जाता है। शुल्क समाप्त करने से ये निर्यात भारत की ओर डायवर्ट किए जाएंगे क्योंकि भारतीय बाजार में बेहतर कीमतें मिलती हैं। क्षति रहित निर्यातों की यह मात्रा भारत में माँग से अधिक है।
- ज) चीन जनवादी गणराज्य द्वारा तीसरे देशों को किए जाने वाला 46% निर्यात भारत में उत्पाद की कीमतों से कम कीमत पर किया जाता है। चीन के उत्पादक बेहतर कीमतें प्राप्त करने के लिए अपना निर्यात भारतीय बाजार की ओर डायवर्ट करने का प्रयास करेंगे। इन निर्यातों की संबंधित मात्रा जिसे भारत की ओर डायवर्ट किया जा सकता है, माँग का लगभग 108% हो सकती है।
- झ) भारत में किए जाने वाला 61% आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर किया जाता है। केवल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण ही इन आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है।
- ञ) आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन से कुल आयात में उत्तरदाता उत्पादक की हिस्सेदारी 33% है।

- ट) आवेदक के पास उपलब्ध बाजार की जानकारी के अनुसार उत्तरदाता उत्पादक के पास चीन में संबद्ध वस्तुओं की कुल क्षमता का केवल 10-12% हिस्सा है।
- ठ) यदि यह मान लिया जाए कि चीन के सभी उत्पादक 90% क्षमता का उपयोग करते हुए प्रचालन कर रहे हैं, और चीन में कुल क्षमता लगभग 33,000 एमटी की है, तो निष्क्रिय क्षमता 3,300 एमटी होगी, जो भारत में वर्तमान माँग के 60% से अधिक है।
- ड) चीन के उत्पादकों के पास निष्क्रिय क्षमताएँ हैं जो भारत में माँग के 140% से अधिक है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

76. वर्तमान जाँच चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए शुल्क की सनसेट समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
77. ऐसी संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि नियमों के अनुलग्नक II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे घटक दर्शाए गए हैं जो क्षति के जोखिम के लिए संगत हैं और सनसेट समीक्षा में संभावना के विश्लेषण के लिए इन्हीं घटकों का प्रयोग किया जा सकता है:
- क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की उल्लेखनीय दर आयात में अत्यधिक वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ख) निर्यातक के पास पर्याप्त रूप से निपटान योग्य क्षमता अथवा क्षमता में निकट भविष्य में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि किन्हीं अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों में पाटित निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनके कारण घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय दबाव या कमी आएगी, और जिनसे और आयात के लिए माँग में वृद्धि होने की संभावना है; और
- घ) जाँच की जा रही वस्तुओं की सूचियाँ।
78. प्राधिकारी ने उपर्युक्त सूचीबद्ध मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना का आकलन करने के लिए संबंधित विभिन्न सूचकों की जाँच की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने अन्य संगत घटकों की भी जाँच की है जो पाटन के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना को प्रभावित कर सकते थे।
- ब.3.1 भारत में वर्तमान में पाटित आयातों का स्तर आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।**
79. आयात में वृद्धि की दर की जाँच करने के लिए, जो आगे और वृद्धि की संभावना को दर्शा सके, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में मात्रा के संदर्भ में और भारत में उत्पादन तथा उपभोग से तुलना करते हुए आयात की मात्रा के प्रवृत्ति की जाँच की है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	2019-20	जाँच की अवधि
1	चीन जनवादी गणराज्य से आयात	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	115	95
2	निम्न के संबंध में आयात: -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	91	116
ख	माँग/खपत	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	87	118
क	कुल आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	117	106

80. यह देखा गया है कि जाँच की अवधि के दौरान माँग में कमी के कारण निर्यात की मात्रा में मात्रात्मक रूप से गिरावट आई है, उत्पादन और उपभोग के संबंध में आयातों में आधार वर्ष और पिछले वर्ष (अर्थात् 2019-20) की तुलना में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि जहाँ आयातों में गिरावट आई है, परंतु ये आयात पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद मात्रात्मक रूप से और तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय बने हुए हैं। आयातों की मात्रा और हिस्सेदारी और आयात की कीमत, शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात में और वृद्धि होने की संभावना दर्शाती है।

अ.3.2 क्या आयात ऐसी कीमतों पर किए जा रहे हैं जिनके कारण घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय दबाव या कमी आएगी, और जिनसे और आयात के लिए माँग में वृद्धि होने की संभावना है।

81. प्राधिकारी ने यह जाँचने के लिए कि क्या आयातों से घरेलू कीमतों पर दबाव आने या इनमें कमी आने की संभावना है, जाँच की अवधि में आयातों, उत्पादन की लागत, और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार किया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर उत्पाद का उल्लेखनीय आयात किया गया था। इस प्रकार यह देखा गया है कि आयात ऐसी दरों पर होने की संभावना है जिनके कारण घरेलू कीमतों पर दबाव या उनमें कमी आएगी, और जिनसे और आयात के लिए माँग में वृद्धि होने की संभावना है।

क्र.सं.	विवरण	बिक्री की लागत से कम	निवल बिक्री प्राप्ति से कम	
			मात्रा मी.टन	आयात की पहुंच कीमत रु./किग्रा.
1	मात्रा मी.टन में	***	***	***
2	कुल आयातों में आयात का हिस्सा %	5-15%	55-65%	

कुल आयात: *** मी.टन, आयातों की औसत पहुंच कीमत: रु. ***/किग्रा., घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री कीमत: रु.***/किग्रा.

अ.3.3 निष्क्रिय अथवा अप्रयुक्त क्षमताएँ

82. संबद्ध देश में अधिक क्षमताओं के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	2017	2018	2019	2020
1	क्षमता एमटी में	36,000	36,000	36,000	36,000
2	उत्पादन एमटी में	27,528	23,737	30,682	24,113
3	निष्क्रिय क्षमता एमटी में	8,472	12,263	5,318	11,887
4	निष्क्रिय क्षमता निम्न के % के रूप में				
क	चीन की क्षमता	24%	34%	15%	33%
ख	भारत की माँग	***	***	***	***
ग	श्रेणी	135-145%	170-180%	60-70%	235-245%

स्रोत: 2019 चाइना फार्मास्युटीकल स्टेटीस्टिक्स वार्षिक रिपोर्ट।

83. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय क्षमताएँ हैं। यह देखा गया है कि चीन में निष्क्रिय क्षमताएं भारत में उत्पाद के लिए माँग का 200 प्रतिशत से अधिक है।

अ.3.4 निर्यात की ओर झुकाव

84. संबद्ध देश में निर्यात की ओर झुकाव के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	2017	2018	2019	जांच की अवधि
1	कुल उत्पादन एमटी में	27,528	23,737	30,682	24,113
2	कुल निर्यात एमटी में	11,611	12,587	12,800	13,428
3	निर्यात झुकाव % में	42%	53%	42%	56%
4	निर्यात भारतीय माँग के % के रूप में	***	***	***	***
5	निर्यात भारतीय माँग के % के रूप में (श्रेणी में)	185-195%	180-190%	160-170%	265-275%

स्रोत: डेटा चीन के निर्यात डेटा प्रदाता - [Topease.com] से लिया गया है।

85. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी दर्शाती है कि चीन के उत्पादकों द्वारा उत्पादन के एक उल्लेखनीय हिस्से का प्रयोग निर्यात के प्रयोजन से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि चीन के उत्पादकों द्वारा किए जा रहे निर्यात भारत में माँग के दुगुने से भी अधिक है।

अ.3.5 तीसरे देशों में पाटन

86. तीसरे देश में पाटन के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	देश	तीसरे देश को निर्यात एमटी में	पाटित निर्यात एमटी में	पाटित निर्यातों का %	भारतीय माँग का %
1	चीन जनवादी गणराज्य	11,624	11,608	100%	***

स्रोत: डेटा चीन के निर्यात डेटा प्रदाता - [Topease.com] से लिया गया है।

87. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, चीन द्वारा तृतीय देशों को किए जाने वाला संपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर किया जाता है। ये निर्यात भारतीय माँग का ***% हैं।

अ.3.6 तृतीय देशों में क्षतिरहित निर्यात

88. तृतीय देश को क्षतिरहित निर्यातों के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

क्र. सं.	देश	तृतीय देश को निर्यात एमटी में	क्षतिरहित निर्यात एमटी में	क्षतिरहित निर्यात का %	भारतीय माँग का %
1	चीन जनवादी गणराज्य	11,624	2,526	22%	***

89. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार चीन द्वारा तीसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात का 22% क्षतिरहित कीमतों पर किया जाता है, जो भारतीय माँग का ***% है।

अ.3.7 कीमत का आकर्षण

90. कीमत के आकर्षण के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है। प्राधिकारी ने तीसरे देश निर्यात कीमत की तुलना भारत में प्रचलित कीमत से की है:

क्र. सं.	देश	तृतीय देश से निर्यात एमटी में	भारतीय कीमतों से कम कीमत पर निर्यात एमटी में	भारतीय कीमतों से कम कीमत पर निर्यात का %	भारतीय माँग का %
1	चीन जनवादी गणराज्य	11,624	10,668	92%	***%

स्रोत: डेटा चीन के निर्यात डेटा प्रदाता - [Topease.com] से लिया गया है।

91. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार तीसरे देशों को किए जाने वाले 92% निर्यात भारतीय कीमतों से कम कीमत पर किए जाते हैं और यह भारतीय माँग का ***% है।

ट. पाटन और क्षति की संभावना के बारे में निष्कर्ष

92. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का पाटन संभवतः पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में जारी रहेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग एक बार फिर संभवतः पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में क्षति उठाएंगे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर्याप्त रूप से यह दर्शाती है कि चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में निष्क्रिय क्षमताएं हैं जो भारत की मांग से अधिक हैं। इसके अलावा, चीन में उत्पादक अत्यधिक निर्यात उन्मुख हैं। तीसरे देशों को चीन के निर्यातों का बहुत अधिक हिस्सा पाटित और क्षति कारक कीमतों पर तथा भारत को किए गए निर्यात कीमत से कम कीमतों पर हुआ है। इस प्रकार इस बात की पूरी संभावना है कि चीन के उत्पादक अपने तीसरे देश को किए जाने वाले निर्यात को भारतीय बाजार को कम निर्यात कीमत पर करने का प्रयास करेंगे और शुल्कों के समाप्त हो जाते ही भारतीय बाजार को अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग करेंगे। इस प्रकार, इन सभी से संकेत मिलता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में चीनी उत्पादकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात को तेज करने और घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति पहुंचाने की संभावना है। इसलिए, प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/बार-बार होने की संभावना है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और जन हित**ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

93. सहभागी उत्पादक ने यह दर्शाने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया जाना जन हित के विरुद्ध होगा।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. घरेलू उद्योग ने जन हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: -

- क) शुल्क लगाए जाने के बाद निर्माण की कीमत में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि मौजूदा शुल्क को जारी रखे जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- ख) इस उत्पाद का प्रयोग प्रमुख रूप से एमोक्सिसिलिन कैप्सूल और एमोक्सिसिलिन सीरप के निर्माण में किया जाता है। एमोक्सिसिलिन कैप्सूल और एमोक्सिसिलिन सीरप पर शुल्क का प्रभाव क्रमशः 0.50% और 0.14% है।
- ग) भारत में 7 उत्पादक हैं जिनकी संयुक्त क्षमता 12,000 एमटी प्रति वर्ष है। इस क्षमता की तुलना में अब तक भारतीय बाजार में उच्चतम माँग केवल लगभग 9,000 एमटी थी। वास्तव में भारत पीयूसी का निर्यात करता रहा है और इसमें निर्यात की उल्लेखनीय संभावना है।
- घ) 'जन हित' शब्द केवल उपभोक्ता उद्योग के हित तक ही सीमित नहीं है और यह एक अधिक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग के हित और अंत में आम जनता के हित शामिल हैं।
- ङ) एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट ऐसे कुछ उत्पादों में से है जिनमें निर्यात की मात्रा अधिक है। यह न केवल देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कर रहा है बल्कि यह भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहयोग कर रहा है। शुल्क लागू करने से यह सुनिश्चित हुआ है कि घरेलू उद्योग व्यापार की विकृतियों से मुक्त रहते हुए प्रचालन करे।
- च) संबद्ध देश से आयात लगातार पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं और यदि शुल्क को आगे नहीं बढ़ाया गया तो इनके और बढ़ने की संभावना है।
- छ) संबद्ध देश के उत्पादक केवल अपने राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचालन करेंगे और उनका भारत में बाजार के दीर्घावधि विकास और भारत के उपभोक्ताओं के लिए कोई योगदान और रुचि नहीं है।
- ज) चीन के उत्पादक भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हैं और इसलिए यदि चीन के उत्पादक असामान्य रूप से उच्च कीमत वसूल करते हैं तो भारत सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी और सरकार के पास इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई प्रणाली उपलब्ध नहीं होगी।

- झ) लगभग 15-20 उपभोक्ताओं ने यह उत्पाद चीन से आयात किया है। हालांकि इनमें से कोई भी उपभोक्ता वर्तमान जाँच में शामिल नहीं हुआ है। यह दर्शाता है कि मौजूदा शुल्क का उनके प्रदर्शन पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं हुआ।
- ञ) पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, आयातों को रोकना नहीं। आयात सभी स्रोतों से जारी रहेंगे।
- ट) चीन के उत्पादकों को उल्लेखनीय अनुचित लाभ प्राप्त होता है, और वे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के तहत प्रचालन करते हैं, और इस वजह से उन्हें श्रमिक, पूंजी और सुविधाओं सहित कच्चा माल और अन्य प्रमुख इनपुट कृत्रिम रूप से कम लागत पर प्राप्त होते हैं। इसके कारण वे संबद्ध वस्तुएँ अनुचित रूप से कम कीमतों पर भारत को निर्यात कर पाते हैं और भारतीय उद्योग इससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता।
- ठ) उपभोक्ताओं की प्रचालन क्षमता अनुचित तथा पाटित कीमतों पर कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर नहीं हो सकती। उपभोक्ताओं ने उचित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने संयंत्र स्थापित किए हैं।
- ड) जहाँ संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों का अनुचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण का दावा कानूनी रूप से उचित है, उपभोक्ता पाटित कीमतों पर उत्पाद की उपलब्धता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

उ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

95. जाँच के दौरान यह जाँचने के लिए कदम उठाए गए कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। जाँच शुरू करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के प्रचालन पर पाटनरोधी उपायों के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जाँच के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी जारी की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तुओं की परस्पर विनिमय क्षमता और प्रतिस्थापन क्षमता, विभिन्न स्रोतों के बीच स्विच करने की उपभोक्ताओं की योग्यता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी लाने या इसमें विलंब करने वाले संभावित घटकों, वर्तमान शुल्क लागू किए जाने के प्रभाव के बारे में जानकारी मांगी थी। किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया।
96. आवेदक ने दो अंतिम उत्पादों – एमोक्सिलीन कैप्सूल और एमोक्सिलीन सीरप पर प्रभाव की मात्रा बताकर शुल्क के प्रभाव के संबंध में सूचना भी उपलब्ध कराई है। किसी अन्य पक्षकार ने आवेदक की कीमतों पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। यह नोट किया जाता है कि अंतिम उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम है।
97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय फार्मा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था और आमतौर पर जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुल्क को जारी रखना अनुचित कार्य पद्धतियों के विरुद्ध भारतीय फार्मा उत्पादकों के लिए एक सुरक्षा चाल के रूप में कार्य करेगा। इस कारण से, शुल्कों का विस्तार करना व्यापक जनहित में होगा।
98. यह भी देखा गया है कि भारतीय उद्योग देश में उत्पाद की संपूर्ण माँग को पूरा करने में सक्षम है। माँग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
99. दुनिया अब मुख्य रूप से लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की ओर है। आवश्यक उत्पादों के लिए एक देश या क्षेत्र पर अधिक निर्भर होना जनहित में नहीं हो सकता है। यह माना गया है कि स्वस्थ घरेलू उद्योग की मौजूदगी प्रयोक्ताओं के हित में है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई कीमतें प्रतिस्पर्धी रही हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से पहले की आयात कीमतों के अनुरूप हैं, जो यह भी दर्शाता है कि आवेदक ने अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए शुल्क का कोई अनुचित लाभ नहीं लिया है। कोविड-19 के काल में हाल ही के अनुभव भी यह दर्शाते हैं कि यदि घरेलू बाजार में पर्याप्त संख्या में उत्पादक उपलब्ध नहीं होते हैं तो आम जनता को परेशानी आने की संभावना है।

100. आगे यह भी नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना है, जो जन हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात भी प्रतिबंधित नहीं होगा और उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी।
101. इस प्रकार प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

ड. प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी टिप्पणियां

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध किए गए हैं:

- क. इन उत्तरों को अस्वीकार करने के लिए दिया गया आधार बहुत अनुचित है तथा यह तर्कसंगत नहीं है एवं यह यूएस – जापान से कुछ हॉट रोलड स्टील प्रॉडक्ट्स पर पाटनरोधी शुल्क [डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर] में विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित न्याय शास्त्र को गुप्त रूप से हानि पहुंचाता है।
- ख. उत्तरों को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का गला घोटने के समान है और यह प्राधिकारी के कुछ विगत निर्णयों का उल्लंघन करता है, जिनमें उत्तरों को बहुत अधिक विलंब के बाद भी स्वीकार किया गया था।
- ग. यह उचित होता, यदि प्राधिकारी इस कमी को निर्यातकों की जानकारी में लाए होते और पूरे तथ्य को अस्वीकार करने के बजाए स्पष्ट करने का अवसर दिए होते।
- घ. उत्पादक के उत्तर पर विचार करना वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना के नहीं रहने की अलग तस्वीर दर्शाता है।
- ड. उत्तरों को अस्वीकार करना कुछ हॉट रोलड स्टील उत्पादों में विश्व व्यापार संगठन के निर्णय का उल्लंघन है जिसमें यह माना गया था कि जांच करने वाले प्राधिकारी को सूचना सही समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर असामयिक रूप में सूचना को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

103. निम्नलिखित प्रकटन पश्चात अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं:

- क. चीन – संयुक्त राज्य से ग्रेन ओरिएंटेड फैलट-रोलड इलैक्ट्रिकल स्टील पर प्रतिसंतुलनकारी और पाटनरोधी शुल्क के मामले में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट ने यह माना था कि सभी तथ्यों, जिनके फलस्वरूप शुल्कों को लागू किया जाए अथवा नहीं, के निर्णय को प्रकटन किया जाना है।
- ख. निरमा लिमिटेड बनाम संघ सरकार [2017 (358) ई.एल.टी. 146 (गुजरात)] के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय और अनुच्छेद 6.9 में भी यह उल्लेख है कि उन सभी तथ्यों, जिन पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया गया है, को प्रकटन विवरण में प्रकट किया जाना है।
- ग. प्राधिकारी ने कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, आवेदक के आर्थिक मापदंड और संबद्ध देशों में निष्क्रिय या उपयोग न की गई क्षमताओं के संबंध में आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया है।
- घ. आवेदक को प्रपत्र ख, घ, अनुमति दी गई है/अनुमति न दिए गए व्यय, विचार किए गए निवल निर्धारित परिसंपत्तियों और लगाई गई पूंजी का विवरण सहित क्षति रहित कीमत का पूर्ण कार्य-चालन के बारे में नहीं बताया गया है और इसलिए वे कोई टिप्पणी देने में सक्षम नहीं हैं।
- ड. क्षतिरहित कीमत को उस सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए, जिस सीमा तक परिवर्तनीय खर्च को मानक बनाया गया है और उन्हें निर्धारित खर्च माना गया है।
- च. क्षतिरहित कीमत की गणना करने के लिए विचार किए गए आवेदक की निवल निर्धारित परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी आवेदक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों से बहुत अधिक कमतर है।

- छ. पीएलआई लाभ देने का तथ्य यह दर्शाता है कि सरकार इस बात को मानती है कि इन प्रमुख आरंभिक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का उत्पादन अन्य प्रकार से चीन के उत्पादकों की तुलना में अकार्य-क्षम होगा।
- ज. यदि शुल्कों को नहीं बढ़ाया जाता है तब एमोक्सिलीन और पेन-जी और 6-एपीए के अपस्ट्रीम उत्पाद में भी, जिसका उद्देश्य एमोक्सिलीन का उत्पादन करना है, द्वारा किए गए निवेश गैर-अर्थक्षम हो जाएंगे।
- झ. जनहित पर आवेदक के सभी अनुरोधों पर नहीं विचार किया गया है।
- ञ. प्राधिकारी ने प्रस्तुत किए गए उत्तर को अस्वीकार किया है और अब इसमें कोई भागीदारी नहीं है। प्राधिकारी, अपनी विगत कार्य-पद्धति के अनुसार वर्तमान अपशिष्ट शुल्क को चीन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू करने पर विचार कर सकते हैं।

ड 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

104. यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के समय इन अनुरोधों की पहले ही जांच कर ली है। केवल उन अनुरोधों जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के संबंध में किया गया है, की जांच और उसका समाधान प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, पहले ही यहां नीचे दिए गए अनुसार उनका समाधान कर लिया गया है।
105. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्तर दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर, 2021 थी। मैसर्स इनर मंगोलिया, जो कि संबद्ध जांच में एकमात्र भागीदार उत्पादक/निर्यातक है, ने केवल 15 नवंबर, 2021 को अर्थात् 28 दिनों के विलंब के साथ अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किया है। यह भी नोट किया जाता है कि उक्त उत्पादक/निर्यातक द्वारा विलंब से उत्तर दाखिल किए जाने के लिए प्राधिकारी से कोई समय विस्तार का अनुरोध नहीं किया गया था, जिसका यह स्पष्ट अर्थ होता है कि उत्तर दाखिल करने की अन्तिम समय सीमा 17 अक्टूबर, 2021 को समाप्त हो गई थी। यदि उत्पादक/निर्यातक ने एक तर्कसंगत आधार पर उत्तर दाखिल करने के संबंध में कोई समय विस्तार मांगा होता तो प्राधिकारी उसे स्वीकार करने की स्थिति में होते। इसकी बजाय, उक्त उत्पादक/निर्यातक से कोई सकारात्मक कार्रवाई की कमी नहीं की गई थी। तथापि, यह भी इंकार नहीं किया जाता है कि उक्त उत्पादक/निर्यातक ने ऐसे मामले में, जहां चीन जन.गण. से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है, अपना उत्तर दाखिल करके प्राधिकारी के साथ सहयोग करने का प्रयास किया है। प्राधिकारी इस तथ्य की सराहना करते हैं लेकिन साथ ही यह भी जानते हैं कि यह उत्तर काफी विलंब से दाखिल किया गया है और बिना कोई उचित कारण प्रदान किए हुए और इसमें कमियां भी हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकार करने के संबंध में उत्पादक/निर्यातक के तर्कों में कोई गुण नहीं पाते और मैसर्स इनर मंगोलिया द्वारा दाखिल उत्तर को अस्वीकार/असहमत करने के लिए अपने निर्णय को बरकरार रखते हैं।
106. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा क्षति रहित कीमत का परिकलन और उसके प्रकटन के संबंध में किए गए अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारित इस नियमावली के अनुबंध III के अनुसार और प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार किया गया है और उसे आवेदक घरेलू उद्योग को प्रकट किया गया है।
107. जनहित के संबंध में अनुरोध के बारे में, यह नोट किया जाता है कि जनहित के संबंध में किए गए सभी अनुरोधों पर उचित तरीके से विचार किया गया है।
108. घरेलू उद्योग के कुछ आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोध के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे सभी तथ्यों, जिन पर प्राधिकारी द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार किया गया है, को समुचित रूप से प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया है।

ढ. निष्कर्ष

109. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जिन्हें उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, को ध्यान में रखते हुए और घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने

और क्षति के फिर से होने की संभावना का उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है।
- ख. चीन के उत्पादकों का बहुत अधिक निर्यातोन्मुखीकरण है।
- ग. संबद्ध वस्तुओं के चीन के उत्पादकों के पास बहुत अधिक मात्रा में निष्क्रिय क्षमताएं हैं जो कुल भारतीय मांग के दुगुना से अधिक है।
- घ. तीसरे देशों को चीन के निर्यात का लगभग पूरा हिस्सा संबद्ध वस्तुओं के भारतीय मांग का दोगुना से अधिक है और वे पाटित कीमत पर निर्यात किए जाते हैं।
- ङ. तीसरे देशों को चीन के निर्यातों का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिकारक कीमतों पर होता है।
- च. तीसरे देशों को चीन के निर्यातों का 90 प्रतिशत से अधिक भारत को निर्यात कीमतों से कम कीमतों पर हुए हैं।
- छ. तीसरे देश के सभी कारक भारी अप्रयुक्त क्षमताओं का पाटन कर रहे हैं। भारतीय निर्यातों की कीमत आकर्षकता और पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भारी निर्यात पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को अधिक क्षति होने की संभावना को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
- ज. मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं, प्रयोक्ता की कोई भागीदारी नहीं, अंतिम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का न्यूनतम प्रभाव और भारतीय उत्पादकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा जैसे कारक यह सिद्ध करते हैं कि उपभोक्ताओं अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

ण. सिफारिशें

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटन के जारी रहने/उसके फिर से होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अपेक्षित है।
111. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जारी रखने की सिफारिश की जाए। चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित संबद्ध वस्तु पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से बढ़ाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29411030	एमोक्सिलीन/ एमोक्सिलीन ट्राइहाइड्रेट	चीन जन.गण.	चीन सहित कोई भी देश	कोई भी	1.96	कि.ग्रा.	यूएसडॉलर

2	29411030	एमोक्सिलीन/ एमोक्सिलीन ट्राइहाइड्रेट	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई भी	1.96	कि.ग्रा.	यूएसडॉलर
---	----------	--	---	---------------	--------	------	----------	----------

त. आगे की प्रक्रिया

112. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

FINAL FINDINGS

(Case No. AD (SSR) 24/2021)

Subject : Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of “Amoxycillin Trihydrate” originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 7/29/2021–DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof;

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an anti-dumping investigation in respect of imports of “Amoxycillin Trihydrate” (hereinafter referred to as “Amoxy” or “PUC” or “Product Under Consideration” or “Subject Goods”) originating in or exported from China PR on 27th April 2016 and after conducting the investigation recommended imposition of definitive duty vide Final Findings No. 14/05/2015-DGAD dated 3rd April 2017 and the anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 21/2017-Customs (ADD) dated 16th May 2017.
2. Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(1B), inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. M/s Aurobindo Pharma Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), in accordance with the Act and the Rules, for initiation of a sunset review investigation concerning the imports of “Amoxycillin Trihydrate” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “subject country”) and have requested extension of the existing duty..
4. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, the Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23(B) of the Rules, initiated a sunset review investigation vide

Notification No. 7/29/2021-DGTR dated 10th September 2021 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country by examining whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

5. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning import of the subject goods (as defined in the initiation notification F. No. 7/29/2021-DGTR dated 10th September 2021), originating in or exported from the subject country.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed in this investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a Notification dated 10th September 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review anti-dumping investigation on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 10th September 2021 to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers/users and other interested parties, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
 - f. The Authority sent exporters' questionnaires to the following known exporters in the subject country in accordance with the Rule 6(4) of the Rules to elicit relevant information:
 - i. M/s North China Pharmaceutical Co. Ltd
 - ii. M/s CSPC Inner Mongolia Changsheng Pharma Co.
 - iii. M/s Zhejiang Medicines & Health Product I&E Co.
 - iv. M/s Shanghai Sunrise Chemical Co. Ltd.
 - v. M/s Team Crown Trading Limited
 - g. Following companies have filed the exporter questionnaire responses as producers/exporters of the product under consideration:
 - i. M/s Inner Mongolia Changsheng Co., Ltd.
 - ii. M/s Sinobright Pharmaceutical Industries Limited
 - h. The Authority forwarded a copy of the notification to the following known importers/consumers/user associations of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rule 6(4) of Rules:
 - i. M/s Ajanta Pharma Limited
 - ii. M/s Maxheal Pharmaceuticals (India) Limited
 - iii. M/s Laborate Pharmaceutical India Limited
 - iv. M/s Kopran Limited
 - v. M/s Medi Pharma Drug House

- vi. M/s Alkem Laboratories Limited
- vii. M/s Medicef Pharma Private Limited
- viii. M/s Tuton Pharmaceuticals
- ix. M/s Flamingo Pharmaceuticals Limited
- x. M/s Ranbaxy Laboratories Limited
- xi. M/s Alkem Laboratories Limited
- xii. M/s Mankind Pharma Limited
- xiii. M/s Laborate Pharmaceuticals India Limited
- xiv. M/s Cipla Limited
- xv. M/s Abbott India Limited
- xvi. M/s Mcleods Pharmaceuticals Limited
- xvii. M/s Medreich Limited
- i. None of the importers/users of the subject goods have responded or filed importer/user questionnaire responses.
- j. Letters were sent to other known producers of the subject goods in India, inviting them to participate in the investigation.
- k. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2020 to 31st March 2021 (12 months). However, injury analysis covers period April 2017-March 2018, April 2018- March 2019, April 2019-March 2020, and the Period of Investigation.
- l. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports for injury analysis.
- m. Verification of the information and data submitted by the domestic industry and the responding producers in the subject country was carried out to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of these final findings.
- n. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been worked out based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules.
- o. The Authority held an oral hearing on 8th December 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). Oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- p. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in these final findings, to the extent considered relevant by the Authority.
- q. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information have been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- r. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has treated such parties as non-cooperative and recorded its finding on the basis of facts available.
- s. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 1st February, 2022 and comments were received thereon. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiterations of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant have been examined and addressed by the Authority in these final findings.
- t. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority is USD = Rs 75.22.
- u. *** in these final findings represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

7. The product under consideration in the initiation notification has been described as follows:

6. The product under consideration in the investigation is "Amoxycillin Trihydrate" also known as "Amoxicillin". Amoxicillin Trihydrate is a semi synthetic antibiotic, an analog of ampicillin, with a broad spectrum of bactericidal activity against many Gram-positive and Gram-negative microorganisms. The following types of products are, however, excluded from the scope of the product under consideration:

- i. Amoxycillin Sodium Sterile and. Flucloxacillin Sodium Sterile,*
- ii. Amoxicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Compacted and*
- iii. Amoxicillin Trihydrate and Claralunate Potassium.*

7. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. To maintain the effectiveness of Amoxicillin and other antibacterial drugs, Amoxicillin should be used only to treat infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

8. Amoxicillin being an organic chemical is categorized under Chapter 29 of the

Customs Tariff Act under subheading 29411030. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

C.1 Submissions made by other interested parties

8. Other interested parties have made no submission regarding the scope of the product under consideration.

C.2 Submissions made by the domestic industry

9. The following submissions have been made by the domestic industry and the companies supporting the application during the course of investigation.

- a. The Designated Authority in the original investigation had concluded that the goods produced by the domestic industry is a like article to the goods that is imported into the domestic market.
- b. There has been no major development in the product under consideration with respect to technology and the product produced by the domestic industry continues to remain like article to the imported product.

c. The other interested parties have not objected to the scope of the product under consideration.

C.3 Examination by the Authority

10. No submission has been made by any interested party on the scope of the product under consideration. Therefore, the scope of the product under consideration is the same as was defined in the initiation notification reproduced below.

6. The product under consideration in the investigation is "Amoxycillin Trihydrate" also known as "Amoxicillin". Amoxicillin Trihydrate is a semi synthetic antibiotic, an analog of

ampicillin, with a broad spectrum of bactericidal activity against many Gram-positive and Gram-negative microorganisms. The following types of products are however, excluded from the scope of the product under consideration:

- i. Amoxicillin Sodium Sterile and. Flucloxacillin Sodium Sterile,*
- ii. Amoxicillin Trihydrate Compacted Ampicillin Trihydrate Compacted and*
- iii. Amoxicillin Trihydrate and Claralanate Potassium.*

7. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. To maintain the effectiveness of Amoxicillin and other antibacterial drugs, Amoxicillin should be used only to treat infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

8. Amoxicillin being an organic chemical is categorized under Chapter 29 of the

Customs Tariff Act under subheading 29411030. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the investigation.

11. The applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant is being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. Rule 2(b) of the Antidumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

D.1 Submissions made by other interested parties

13. Other interested parties have made no submission regarding the standing of the applicant company as the domestic industry.

D.2 Submissions made by domestic industry

14. The following submissions have been made by the domestic industry and the companies supporting the application during the course of the investigation.
 - a. M/s Aurobindo Pharma has provided all the relevant data to the Authority with a request for extension of duties.
 - b. The applicant is one of the eight producers of the subject goods in India.
 - c. The applicant has not imported the subject goods from the subject country.
 - d. The applicant is neither related to the exporter of the subject goods from the subject country nor to the importers of the subject goods in India.
 - e. The application is supported by two other producers of subject goods in India – (a) Centrient Pharmaceuticals India Private Limited and (b) Penam Laboratories Limited.
 - f. The applicant's production accounts for 30% of the Indian production. The applicant's and supporters' share accounts for 65% of the Indian production. Further, there is no opposition to the application.
 - g. The applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and rule 5(3) of the Rules.
 - h. The other interested parties have not objected to the standing of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

15. The present application has been filed by M/s Aurobindo Pharma Limited. Post filing of the application and before initiation of the investigation, the application was supported by Centrient Pharmaceuticals India Private Limited and Penam Laboratories Limited. Centrient Pharmaceuticals India Private Limited participated in the oral hearing, made submissions during the hearing and thereafter filed written submissions as well, reiterating its support. The company has also provided limited information about its operation.
16. The Authority notes that the standing of the domestic industry is not required to be examined during the sunset review particularly when the constituent(s) of the domestic industry remain the same. Nonetheless, the Authority notes that the production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production. Further, the applicant's and supporters' share cumulatively account for more than 50% of the domestic production. As per the information on record, the applicant has not imported the subject goods during the entire injury period.
17. Considering the above, the Authority holds that Aurobindo Pharma Limited constitutes 'Domestic Industry' within the meaning of the Rules. Further, since Centrient Pharmaceuticals India Private Limited has filed only limited information, the company has not been considered as part of the domestic industry for the present investigation.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions made by the other interested parties**

18. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
 - a. Responding producer and exporter filed response 25 days after the last date of filing questionnaire response. The EQR was still filed within a reasonable period and the requirements of Rule 6(8) have not been violated and therefore, the response must be taken on record under the inherent discretionary powers of the Authority.
 - b. The Authorities are not entitled to reject the information filed by a party for the sole reason that it was submitted beyond the deadlines for responses to the questionnaires.
 - c. Delay of 25 days is insignificant. The responding exporter has not impeded the investigation in any significant manner.
 - d. On the submission that Part II of the SSR Questionnaire was allegedly missed out by the responding foreign producer and exporter, it is submitted that the same was enclosed as annexures to the written submissions filed by the parties.

E.2 Submissions by the domestic industry

19. The following submissions have been made by the applicant during the course of the investigation.
 - a. Pharma drugs play a major role in healthcare delivery in the country and continuous supply is necessary to ensure delivery of affordable healthcare to the citizens. Any disruption can have significant adverse impact on the drug security of the country.
 - b. The Government of India is making significant efforts to make Indian pharmaceutical industry self-reliant industry. Production Linked Incentive (PLI) is for promotion of domestic manufacturing, and Amoxicillin is one of the eligible API and Penicillin-G and 6-APA as the Key Starting Materials (KSMs)/Drug Intermediates (DIs).
 - c. A 15,000 MT plant of Penicillin G of the applicant for Rs. 1,392 cores has been approved by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. If duties are not extended, then Chinese producers will dump in the country which will not only threaten viability of the subject goods but all efforts going towards backward integration would also fail.
 - d. The committee on drug security constituted by the Department of Pharmaceuticals identified 53 APIs for which the country is heavily dependent on imports. The list of such identified APIs includes Amoxicillin.

- e. The responding producer has not filed Part II of the questionnaire response. Even when the exporter is fully aware of the relevance & importance of the Part-II of the questionnaire in the sunset review investigation, it has chosen not to file it.
- f. Either the exporter should be asked to file SSR Part-II, or it should be declared non-cooperative.
- g. In response to the question seeking information relating to exports to countries other than India in the Part – I, the respondent has referred to export appendixes. However, as per the non-confidential response filed, no such appendix has been filed.
- h. The foreign producer/exporter should be asked to file complete information, or it should be declared non-cooperative.
- i. Respondent's exports to European Union had been banned in 2018 by European Medicines Agency's on account of quality. However, no such information has been provided in the response.
- j. Respondent was required to provide information on the total demand in the country but as per the non-confidential response shared with the applicant, total demand includes the volumes of exports as well.

E.3 Examination by the Authority

20. Barring Inner Mongolia Changsheng Co., Ltd, no other producer from China PR has filed any response. Even Inner Mongolia Changsheng Co., Ltd has filed a delayed response. On their submission regarding the delay in filing the questionnaire response, the Authority notes that it is not appropriate to accept the response filed by them because (a) it is significantly delayed, (b) no convincing reason has been accorded justifying the submission of response at such a belated stage (c) the questionnaire response has major deficiencies and does not contain vital information required for likelihood determination, (d) the information relevant for likelihood analysis, filed only after the conduct of oral hearing, is insufficient and unreliable, in as much as identical production has been reported for all the relevant years. Considering the facts mentioned above, it is therefore considered appropriate not to accept the questionnaire response filed by Inner Mongolia Changsheng Co., Ltd.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Normal Value

21. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance both the rules made under sub-section (6); or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6): or*
 - b. *the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from countries other than the countries of origin and where the article has been merely transhipped through the countries of export or such article is not produced in the countries of export or there is no comparable price in the countries of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the countries of origin.

F.2 Submissions made by the other interested parties

22. The following submissions have been made by the other interested parties:

- a. Claims of the applicant itself show that dumping margin and injury margin have declined tremendously from the original case. This suggests the present anti-dumping duty is not warranted anymore.

F.3 Submissions made by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. The Authority is required to consider China as a non-market economy country. Since the only responding producer from China did not claim market economy treatment, the Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
- b. European Union holds 13% share in the total imports into India. As there have been significant imports of the subject goods from European Union to India throughout the injury period, export price from European Union to India should be considered as normal value for China PR.
- c. Responding producer has not claimed market economy treatment.
- d. Export price from European Union to the rest of the world could not be adopted as the customs classification in European Union is not dedicated to the PUC and several different products fall under the classification.
- e. Approach to consider imports from non-subject country has been considered for normal value in various other investigations by the Authority.
- f. Dumping margin calculated by the applicant using export price of European Union as normal value is not only above de-minimis but also significant. It shows that dumping has continued.

F.4 Examination by the Authority

24. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject country have filed exporter's questionnaire response. However, the Authority has not accepted the questionnaire response for the reasons mentioned at Para 20 of this final findings.

- a. Inner Mongolia Changsheng Co. Ltd.
- b. Sinobright Pharmaceutical Industries Limited

F.4.1 Normal Value Determination

China PR

25. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- a. In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:
 - i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;
 - ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

- b. In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China PR may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China PR.
 - c. The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with sub paragraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.
 - d. Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.
26. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to the supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules.
27. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has filed the supplementary questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure - I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure - I of the Rules, which reads as under:
- “In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*
28. Para 7 of Annexure I to the AD Rules lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Para 7.
29. The applicant has also claimed normal value on the basis of the export price of the subject goods from European Union to India. In this regard, the Authority notes the decision of the Hon'ble

CESTAT in the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs. Union of India, wherein it was held that when normal value is determined based on exports from a market economy third country to India, the relevant criteria for determining appropriate market economy third country is the volume of exports from such country and that the country should not be dumping during the period of investigation. It is noted that around 12% of imports of the subject goods into India are from European Union, which is above the de-minimis limit, and there is no anti-dumping measure in force and thus the imports from European Union cannot be considered as dumped. Therefore, CIF price from European Union is representative in nature. Accordingly, the Authority holds to determine the normal value for China PR on the basis of import price into India from EU.

30. For the purpose of normal value determination, the import price from European Union to India has been adjusted with ocean freight, marine insurance and other adjustments on account of port charges, bank charges etc to arrive at ex-factory price. The normal value so determined is shown below in the dumping margin table.

F.4.2 Export Price

China PR

Inner Mongolia Changsheng Co. Ltd., China PR

31. Since questionnaire response filed by Inner Mongolia Changsheng Co. Ltd, a producer of subject goods in China PR, has not been accepted for the reasons mentioned above, the export price has been determined on the basis of import price reported in Indian customs data, as determined from the data provided by the DGCIS. Further, the net export price at ex-factory level has been determined after making due adjustments, and the same is shown in the dumping margin table below.

F.4.3 Dumping Margin

32. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for China PR is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

DUMPING MARGIN TABLE

S.N.	Particulars	Normal value	Net export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	%
1	Any producer/ exporter from China	***	***	***	***	55-65%

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

G.1 Submissions made by the other interested parties

33. The submissions of the other interested parties with regard to injury and causal link are as under:
- Volume of imports have declined by the period of investigation whereas the price has increased from Rs1530/Kg in the base year to Rs1848/Kg.
 - The trend of price when the duty is already in force shows that the exporters are periodically increasing the prices.
 - Despite the growth in the volume parameters, the domestic industry has seen a growth in the price parameters.
 - The domestic industry is not under any price pressure from imports.
 - The applicant wants to remain silent on the cause of current injury to avoid questions on injury when the duty is in force. Other causes of such injury need to be identified so that the likelihood also can be examined fairly.
 - Reasons other than imports including Covid-19 have impacted the performance of the applicant and it is likely to suffer continued injury on account of such other reasons as the pandemic is still on.

G.2 Submissions made by the domestic industry.

34. The domestic industry has submitted as follows: -

- a. Performance of the domestic industry has improved post imposition of anti-dumping duties in 2017.
- b. Duty paid landed price of the subject goods has enabled the domestic industry to charge prices above the cost of production.
- c. While the volume parameters show a decline in the period of investigation, it is attributable to the decline in the demand of the subject goods.
- d. Demand of the subject goods increased till the year 2019-20 but declined in the proposed period of investigation due to Covid-19.
- e. Imports have declined due to decline in the demand in the period of investigation.
- f. Price undercutting is positive in all the years except 2019-20.
- g. Production of the domestic industry was significantly lower than the capacity and domestic sales was also lower than the production.
- h. Market share of the subject imports increased except 2019-20. While the market share of the domestic industry has declined.
- i. Profit per unit earned by the domestic industry declined in the year 2018-19 and increased thereafter.
- j. With Chinese dumping of Penicillin G and 6-APA the production of the applicant became unviable, and it stopped the production of 6-APA. The domestic industry is making the PUC from imported 6 APA.
- k. Current profitability of the applicant appears reasonable only due to the fact that the domestic industry is sourcing 6 APA from the market and then processing it to produce the subject goods and it is also protected against dumping of the PUC.
- l. There is no viability even at present in producing Penicillin G, 6-APA and then Amoxy. It is for this reason that the GOI has accepted the need for PLI incentive in this industry.
- m. Had the domestic industry captively produced Penicillin G and then 6-APA and then used it for production of Amoxy, it would have suffered losses.

G.3 Examination by the Authority

35. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
36. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in the event of revocation of existing duty.
37. Centrient Pharmaceuticals India Private Limited has provided information on capacity, production, sales, selling price, cost of sales and profit per unit for the injury period. However, since the complete costing information has not been provided, the Authority has not considered the selling price, cost of sales and profit per unit for Centrient Pharmaceuticals India Private Limited for the

purpose of injury analysis. Information on production and domestic sales have been considered for calculating Indian production and demand.

38. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and other interested parties on injury and causal link and has analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

G.3.1 Assessment of Demand

39. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Sales of applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	112	55
2	Sales of supporters	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	106	106	100
3	Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	188	263	104
4	Imports from China PR	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	115	95
5	Import from other countries	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	43	23	64
6	Demand	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	114	132	81

It is seen that the demand of the subject goods increased till the year 2019-20 but declined in the period of investigation. The domestic industry has claimed that the decline is due to the shrinkage in demand due to COVID-19.

G.3.2 Volume effect of dumped imports

Import volume and share of subject country

40. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from the other countries have been examined by the Authority as follows.

S.N.	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Subject country China PR	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	115	95
2	Subject country imports in relation to-					
A	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	137	91	116
B	Demand/Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	87	118
C	Total Imports	%	75-85%	90-100%	90-100%	80-90%

41. It is seen that the volume of dumped imports of the product under consideration from the subject country increased in the year 2018-19. However, the imports declined thereafter in the year 2019-20 and further declined in the period of investigation. The decline in dumped imports can be attributed

to the decline in demand as well as imposition of anti-dumping duty in force. While the imports have declined in absolute terms, they have increased in relative terms in the period of investigation.

G.3.3 Price effect of dumped imports

42. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.
43. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from subject country.

a. Price undercutting

44. Price undercutting has been determined by comparing the landed price of imports from the subject country with the net sales realisation of the domestic industry in India.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Net Sales Realisation	₹/Kg	***	***	***	***
2	Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
3	Price Undercutting	₹/Kg	***	***	***	***
4	Price Undercutting	%	***	***	***	***
5	Price Undercutting	Range	10-20%	0-10%	(0-10)%	0-10%

45. It is seen that the landed price of imports is below the selling price of the domestic industry, resulting in positive price undercutting.

b. Price suppression/depression

46. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority has examined the changes in the costs and prices over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	130	109	118
2	Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	116	99	109
3	Landed Price	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	118	121

47. It is seen that the cost of sales, selling price and landed price of imports have all increased in the POI. The imports have not had suppressing or depressing effect on the prices of the applicant.

G.3.4 Impact on economic parameters of the domestic industry

48. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of

capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, production, capacity utilization and sales.

49. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	100	108	108
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	117	55
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	108	51
4	Domestic Sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	112	55

50. It is seen that: -

- The domestic industry has expanded its capacity in the year 2019-20.
- The production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined in the year 2018-19, increased thereafter in the year 2019-20 but has declined again in the period of investigation.
- The decline in production, capacity utilization and sales during the POI is due to the decline in the demand.

b. Market share of the domestic industry in demand

51. The effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Share of applicant	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	85	68
2	Share of supporters	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	93	80	124
3	Share of other Indian producers	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	165	199	129
4	Share of imports from China	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	87	118
5	Share of imports from other countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	38	18	79

52. It is seen that the market share of the domestic industry, other domestic producers and imports from the subject country have kept on fluctuating year on year giving no clear trend during the injury period.

c. Inventory

53. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given below: -

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Opening Inventory	MT	***	***	***	***

2	Closing Inventory	MT	***	***	***	***
3	Average Inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	65	139	217

54. It is seen that the inventory with the domestic industry declined in 2018-2019. However, inventories increased once again thereafter in 2019-20 and further increased in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment.

55. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Cost of Sales	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	130	109	118
2	Selling Price	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	116	99	109
3	Profit / Loss	₹/Kg	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	59	62	75
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	50	69	41
5	Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	51	70	42
6	PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	57	81	41
7	ROCE	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	58	75	74

56. The profit, cash profit, profit before interest and tax (PBIT) have declined steeply in the POI. The decline though is partly attributable to the decline in demand also.

e. Employment, wages and productivity

57. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	No of Employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	110	113	97
2	Salary & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	91	91	69
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	82	117	55
4	Productivity per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	75	103	57

58. It is seen that employment levels of domestic industry increased till the year 2019-20 but declined in the period of investigation. The salary and wages of the domestic industry have declined over the injury period. The productivity per employee and per day declined in 2018-19, increased in 2019-20 but declined again in the period of investigation.

f. Growth

59. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below.

SN	Particulars	UOM	2018-19	2019-20	POI
1	Production	Y/Y	-18%	42%	-53%
2	Sales	Y/Y	-18%	32%	-53%
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-41%	5%	21%
4	Inventory	Y/Y	-35%	114%	56%
5	Market Share	Y/Y	-25%	13%	-19%
6	Profit before Tax	Y/Y	-50%	38%	-40%
7	Cash Profit	Y/Y	-49%	37%	-39%
8	PBIT	Y/Y	-43%	42%	-50%
9	ROI	Y/Y	-42%	29%	-1%

60. The profit per unit of the domestic industry has recorded a positive growth in the POI. All other parameters show a negative growth due to decline in demand.

g. Magnitude of dumping

61. It can be seen that the dumping margin is not only more than *de-minimis* but also substantial.

h. Ability to raise fresh capital

62. The domestic industry has expanded its capacity in the injury period. It is seen that the current performance of the domestic industry is sufficient to attract fresh capital for further investment.

i. Factors affecting domestic prices

63. The anti-dumping duty in force has ensured that the dumped imports do not have any adverse impact on the prices of the domestic industry.

Conclusion on injury

64. The Authority based on overall analysis holds that the domestic industry has not fully recovered from injury.

H. CAUSAL LINK

65. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine whether factors other than dumped imports are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority still examined whether other known listed factors are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

66. Besides the subject country, imports above *de-minimis* limits are from European Union. However, it is seen that the landed price of imports from European Union is significantly above the selling price and the non-injurious price of the domestic industry. Therefore, imports from third countries are neither causing nor likely to cause injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand and / or change in pattern of Consumption

67. It is seen that the demand of the subject goods has declined in the period of investigation. The demand in period of investigation was much below the demand in the base year and 2019-20. The applicant has submitted that the decline in demand is due to Covid -19 pandemic. This contraction of demand thus is temporary and the demand is expected to get back to the normal post-pandemic. Thus, it cannot be a contributing factor for injury.

c. Development of technology

68. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Further, the responding producer has also not stated that there is any development in technology. Therefore, it is not something that can cause injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices

69. The Authority notes that there is no trade restrictive practice. Therefore, it is not something that can cause injury to the domestic industry.

e. Export performance

70. It is seen that the exports of the domestic industry have also declined in the period of investigation. In any case, Authority has considered data for the domestic operations only. Any possible deterioration in the export performance of the domestic industry, therefore, cannot be a cause for the injury to the domestic industry.

f. Performance of other products

71. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only in this investigation and therefore the performance of other products produced and sold by the domestic industry is not included in the injury analysis and therefore cannot be attributed to injury.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

72. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.
73. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin determined by the Authority is as indicated in the table below.

INJURY MARGIN TABLE

SN	Particulars	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Range
		USD/KG	USD/KG	USD/KG	%	
1	Any producer/exporter from China	***	***	***	***	5-15%

J. LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY**J.1 Submissions made by the other interested parties**

74. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
- Contention of high export orientation is not substantiated. For the responding producer, only 40-45% of its production during the period of investigation was exported and such a percentage do not show export orientation.
 - Indian Authority treats Export Oriented Units (EOU) and even producers with very high exports still as eligible domestic producers to seek duty and in such a context, calling 40-45% exports as high export orientation has no meaning.
 - Countrywide numbers claimed by the applicant shows that about 56% of the production was exported during the period of investigation whereas the same was only 42% during the year 2019.
 - Even in third country exports, prices moved from 89 points to 90 points in the period of investigation.

- e. Upon examination of information submitted by the producer and the parameters as per clause (vii) of Annexure II of the AD Rules show that none of the parameters show any likelihood of dumping and injury in case of their exports if the duties are allowed to expire and the claims made by the petitioner to the contrary are not substantiated.
- f. Facts relied by the applicant do not show that the excess capacity shall be diverted to India in the event of expiry of duties as there are no markets to absorb such capacities.
- g. Capacity utilization was more than 90% in case of the responding producer which leaves no significant idle capacity and the same is applicable at country-level.
- h. The applicant has claimed the lowest idle capacity at 7% in the year 2019. The exports during the same period were at 12800 MT showing that the subject country has a strong domestic market and is not dependent on the export market.
- i. Exports were lower at 12587 MT during 2018 when the idle capacity was highest at 28% showing that the exporters are not under any pressure of any such idle capacities that exports are made at dumped rates to ease the idle capacity.
- j. The applicant could not show that expiry of existing duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to domestic industry in any manner whatsoever as envisaged in Rule 23 (1B).

J.2 Submissions made by the domestic industry

75. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation: -
- a. More than 40% of the production in China is being exported. India being a lucrative market, export-oriented producers will try to shift their surplus production to India.
 - b. There are significant idle capacities in China to the extent of 27% in 2020. Therefore, the producers in China will always be exploring other markets in order to utilise idle capacity. Cessation of duties is likely to open the flood gates for imports in India which will eventually capture the domestic market.
 - c. Exports to India occupy a 7% share in total exports from China and exports to India are priced higher as compared to other countries. Cessation of duties will provide the producers in China an opportunity to divert their low-priced exports to India.
 - d. India is a net importer of Active Pharmaceutical Ingredient, and Indian pharmaceutical industry relies heavily on imports of API to produce drugs. Thus, for the biggest API manufacturer and exporter (China), India will become an attractive market option if the duties are allowed to expire.
 - e. Chinese Government is heavily promoting the Active Pharmaceutical Ingredient industry through subsidies, tax incentives and establishment of special R&D parks to encourage the development of new products and processes in the pharmaceutical sector. Chinese producers are faced with surplus capacities and addition of more capacities is likely to encourage these producers to ship their production to the export market.
 - f. Almost entire exports from China PR to third countries are at dumped prices. Therefore, the Chinese producers are not only dumping in the Indian market but also in other countries.
 - g. 51% exports from China PR to third countries are at injurious prices. Cessation of duties will lead to these exports being diverted to India as Indian market offers better prices. The associated volumes of injurious exports are more than the demand in India.
 - h. 46% exports from China PR to third countries are below prices in India. Chinese producers will try to divert their exports to Indian market to fetch better prices. The associated volumes of these exports which can be diverted to India are around 108% of the demand.
 - i. 61% of imports into India are at prices below the domestic industry prices. It is only due to anti-dumping duty in force that these imports have not had any adverse price effect on the domestic industry prices.

- j. As per the information available with applicant, share of responding producer in total imports from China is 33%.
- k. As per the market information with the applicant, the responding producer only holds around 10-12% of the total capacity of the subject goods in China.
- l. Even assuming that all the producers in China are operating at 90% capacity utilization, with the total capacities being around 33,000 MT in China, the idle capacities will be 3,300 MT, which is more than 60% of the current demand in India.
- m. Chinese producers have idle capacities which are more than 140% of the demand in India.

J.3 Examination by the Authority

- 76. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to examine whether cessation of the existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 77. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia, factors which are relevant for threat of injury and the same factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well:
 - a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article being investigated.
- 78. The Authority has examined various indicators relevant to the assessment of likelihood of injury to the domestic industry, having regard to the above listed parameters. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

J.3.1 The level of current dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.

- 79. In order to examine the rate of increase in imports which could indicate the likelihood of further increase, the Authority has examined the trend of volume of imports over the injury period, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	2019-20	POI
1	Imports from China PR	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	142	115	95
2	Imports in relation to: -					
A	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	137	91	116
B	Demand/Consumption	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	125	87	118
C	Total Imports	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	114	117	106

- 80. It is seen that while the import volume has declined in absolute terms due to decline in demand, the imports in relation to production and consumption have increased during the POI as compared to that in the base year as well as in the preceding year (i.e 2019-20). Further, it is also seen that while the imports have declined, the same has nevertheless continued to remain significant despite anti-

dumping duty in force, both in absolute and relative terms. The volume and share of imports, coupled with the import price shows likelihood of further increase in imports if duty expires.

J.3.2 Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports.

81. The Authority considered the imports in the POI, cost of production, and selling price of the domestic industry in order to examine if imports are likely to have depressing or suppressing effect on domestic prices. It is seen that there were significant imports of the product below the selling price of the domestic industry. It is thus seen that the imports are likely to occur at a price that will have depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports.

SN	Particulars	Below cost of sales	Below net sales realization	
A.1			Volume MT	Landed Price of import Rs. /kg
A.2 1	Imports in MT	***	***	***
A.3 3	Share of imports in total imports %	5-15%	55-65%	

Total Imports: *** MT, Average landed price of imports: ***, Average net selling price of the domestic industry: ***.

J.3.3 Idle or unutilised capacities

82. Information with respect to surplus capacities in the subject country is given below.

SN	Particular	2017	2018	2019	2020
1	Capacity in MT	36,000	36,000	36,000	36,000
2	Production in MT	27,528	23,737	30,682	24,113
3	Idle capacity in MT	8,472	12,263	5,318	11,887
4	Idle capacity as % of				
A	Chinese capacity	24%	34%	15%	33%
B	Indian demand	***	***	***	***
C	Range	135-145%	170-180%	60-70%	235-245%

Source: 2019 China Pharmaceutical Statistics Annual Report.

83. It is seen that there are significant idle capacities with the Chinese producers. It is seen that the idle capacities in China are more than 200% of the demand for the product in India.

J.3.4 Export orientation

84. Information with respect to export orientation in the subject country is given below.

SN	Particular	2017	2018	2019	POI
1	Total Production in MT	27,528	23,737	30,682	24,113
2	Total Exports in MT	11,611	12,587	12,800	13,428
3	Export orientation in %	42%	53%	42%	56%
4	Export as % of Indian demand	***	***	***	***
5	Exports as % of Indian demand (in Range)	185-195%	180-190%	160-170%	265-275%

Source: Data sourced from [Topease.com] – The export data provider in China

85. The information provided by the applicant shows that a significant share of production is being used by the Chinese producers for export purpose. Further, it is also seen that exports being undertaken by the Chinese producers are more than double the demand in India.

J.3.5 Third country dumping

86. Information with respect to third country dumping is given below.

SN	Country	Third country exports in MT	Dumped exports in MT	% of dumped exports	% of Indian Demand
1	China PR	11,624	11,608	100%	***%

Source: Data sourced from [Topease.com] – The export data provider in China

87. As per the information provided by the applicant, entirety of Chinese exports to third countries are at dumped prices. These exports constitute ***% of the Indian demand.

J.3.6 Third country injurious exports

88. Information with respect to third country injurious exports is given below:

SN	Country	Third country exports in MT	Injurious exports in MT	% of injurious exports	% of Indian Demand
1	China PR	11,624	2,526	22%	***%

89. As per the information provided by the applicant, 22% of Chinese exports to third countries are at injurious prices, which constituted ***% of Indian demand.

J.3.7 Price attractiveness

90. Information with respect to price attractiveness is given below. The Authority has compared the third country export price with the price prevailing in India:

SN	Country	Third Country Exports in MT	Exports below Indian prices in MT	% of Exports below Indian prices	% of Indian Demand
1	China PR	11,624	10,668	92%	***%

Source: Data sourced from [Topease.com] – The export data provider in China

91. As per the information provided by the applicant, 92% of exports to third countries are at prices below Indian prices and constitutes *** % of Indian demand.

K. Conclusion on likelihood of dumping and injury

92. It is noted that dumping of the subject goods is likely to continue in the event of cessation of ADD. Further, the domestic industry is once again likely to suffer injury in the event of cessation of ADD. The information on record sufficiently demonstrates that there are significant idle capacities with the Chinese producers, which are more than the Indian demand. Further, the producers in China are highly export oriented. Significant proportion of Chinese exports to third countries are at dumped and injurious prices and at prices below the prices to India. It is thus very likely that the Chinese producers will divert their third country low price exports to Indian market and utilise their idle capacities to increase their exports to the Indian market once duties are allowed to lapse. Thus, all these indicate that in the event of cessation of duty the Chinese producers are likely to intensify export of the subject goods to India at dumped prices and cause further injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND PUBLIC INTEREST**L.1. Submissions by other interested parties**

93. The participating producer has made no submission to show that extension of anti-dumping duties will be against public interest.

L.2. Submissions by the domestic industry

94. The domestic industry has made the following submissions with regard to the public interest: -

- a. There has not been any material change in the price of formulation after the imposition of duty. This itself shows that there shall be no adverse effect of continuation of the present duty.
- b. The product is majorly used in the production of Amoxycillin Capsules and Amoxycillin syrup. The impact of duty on Amoxycillin Capsules and Amoxycillin syrup is 0.50% and 0.14% respectively.
- c. There are 7 producers in India who have a combined capacity of more than 12,000 MT per annum. Against this capacity, demand in Indian market so far, at its peak, was only about 9,000 MT. In fact, India has been exporting the PUC and has significant export potential.
- d. The expression public interest does not limit itself to consumer industry's interest alone and it is a much wider term, which covers in its ambit the domestic industry's interest and ultimately interests of public at large.
- e. Amoxycillin Trihydrate is amongst very few products where there is an export surplus. Not only is it adding to country's foreign exchange reserves but is also helping in making India a 5 trillion \$ economy. Duties have ensured that the domestic industry operated in a market free from trade distortions.
- f. Imports from the subject country have continued to enter at dumped prices and are likely to increase if the duties are not extended.
- g. Producers in the subject country will only operate with the objective of maximisation of their revenue and have no stake and interest in long term development of the market and consumers in India.
- h. Chinese producers are totally out of purview of Indian competition law and therefore if Chinese producer resort to any abnormally high pricing, Govt. of India will be helpless and will have no mechanism available to take remedial action thereon.
- i. About 15-20 of consumers have imported the product from China. However, none of these consumers have participated in the present investigation. This itself shows that the existing duties did not have any significant impact on their performance.
- j. The objective of anti-dumping duty is to ensure fair competition and not to prevent imports. Imports will continue to happen from all the sources.
- k. Producers in China enjoy significant unfair advantage, and operate under non-market economy conditions, which allows them access to raw materials and other key inputs, including labour, capital and utilities, at artificially lower costs. This allows them to export the subject goods to India at unfairly low prices, which the Indian industry is not able to compete.
- l. Viability of the consumers cannot be dependent on access to raw material at unfair and dumped prices. The consumers have set up their plants considering fair market conditions
- m. While the domestic producers for subject goods have a legitimate claim to be protected against unfair competition, the consumers cannot claim a right to availability of product at dumped prices.

L.3. Examination by the Authority

95. During the course of the investigation, steps were taken to examine whether the imposition of the anti-dumping duties will be against the public interest. Gazette notification initiating the investigation was issued inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide the relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of the anti-dumping on their operations. The Authority sought information inter-alia on interchangeability and substitutability of the subject goods supplied from different sources, ability of the consumers to switch different sources, effect of the anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duties, impact of imposition of the present duty. No user participated in the present investigation.

96. The applicant has also provided information on the impact of duty by quantifying impact on two end products - Amoxycillin Capsules and Amoxycillin Syrup. No other party has provided any information regarding impact of ADD on the prices of the applicant. It is noted that the impact of duty on the end products is very minimal.
97. The Authority notes that the Indian pharma industry is of critical importance to the Indian economy and public at large. Continuation of duty would act as a safety net for the Indian pharma producers against unfair trade practices. Therefore, the extension of the duties will be in the larger public interest.
98. It is also seen that the Indian Industry is capable of catering to the entire demand for the product in the country. There is no demand -supply gap.
99. The world is now mainly towards resilient supply chains. Over dependent on one country or reign for essential products may not be in public interest. It is recognized that a presence of healthy domestic industry is ultimately in the interest of the users. It is further seen that the prices offered by the domestic industry remained competitive and are in line with the import prices excluding anti-dumping duty, which also shows that the applicant has not taken any undue benefit of duty to scale up their prices. The recent experience in the Covid-19 period has also shown that the public at large is likely to suffer, if the products are not sufficiently available in the domestic market.
100. It is further noted that the purpose of anti-dumping duty, is to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. which is in the public interest, Imposition of anti-dumping measures would neither restrict imports from the subject country, nor would not affect the availability of the product to the consumers.
101. The Authority thus is of the opinion that the continuation of the present anti-dumping duty on the imports of product under consideration from subject country would not be against public interest.

M. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

M. 1. Submissions by the other interested parties

102. The following post-disclosure submissions have been made by the other interested parties:
 - a. Grounds provided to reject the responses are highly unjust and not reasonable and also undermines the jurisprudence set by WTO in US– Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan [WT/DS184/AB/R].
 - b. The rejection of responses amounts to smothering the basic principles of natural justice and contravenes certain past decisions of the Authority wherein responses were accepted even after significant delays.
 - c. It would have been fair if Authority had brought deficiency to the knowledge of the exporters and given the opportunity to clarify instead of rejecting the whole thing.
 - d. Considering the response of the producer would show a different picture of absence of likelihood of dumping and injury in the event of expiry of present duties.
 - e. The rejection of responses contravenes the WTO decision in Certain Hot-Rolled Steel Products in which it was held that investigating authorities should not be entitled to reject information as untimely if the information is submitted within a reasonable period of time.

M. 2. Submissions by the domestic industry

103. The following post-disclosure submissions have been made by the domestic industry:
 - a. Appellate Body Report in the case of China – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electrical Steel from the United States held that all facts leading to the decision of whether or not to apply measures have to be disclosed.
 - b. Article 6.9 and judgment of the Hon'ble High Court in the case of Nirma Limited Vs. Union of India [2017 (358) E.L.T. 146 (Guj.)] also state that all the facts considered by the Authority for arriving at the final conclusion have to be disclosed in the disclosure statement.
 - c. The Authority has not disclosed essential facts in regard to price suppression/depression, economic parameters of the applicant and idle or unutilised capacities in the subject countries.

- d. Applicant has not been disclosed the complete working of the non-injurious price including Format B, D, expenses allowed/disallowed, net fixed assets considered, and capital employed details and is therefore unable to offer any comments.
- e. Non-injurious price should be modified to the extent variable expenses have been normated treating them as fixed expense.
- f. Net fixed asset and working capital of the applicant considered for calculating non injurious price are grossly lower than the figures reported by the applicant.
- g. Very fact of providing PLI benefit shows that Government recognises that the production of these key starting raw materials or intermediates shall otherwise be unviable as compared to Chinese producers.
- h. If duties are not extended, then investments made by applicant in Amoxycillin and also in the upstream product of Pen-G and 6-APA intended for production of Amoxycillin would become unviable.
- i. All the submissions of the applicant on public interest have not been considered.
- j. The Authority has rejected the response filed and there is no participation now. The Authority may as per its past practice consider extending the present residual duty to all Chinese producers/exporters.

M. 3. Examination by the Authority

104. It is noted that most of the submissions made by the interested parties on the disclosure statement are mere reiterations of their earlier submissions. The Authority has already examined these submissions at the time of issuance of the disclosure statement. Only those submissions made by the domestic industry and the other interested parties on the disclosure statement that have not been examined and addressed by the Authority already are addressed hereinunder.
105. The Authority notes that the last date for filing response was 17th of October, 2021. M/s Inner Mongolia which is the only participating producer/exporter in the subject investigation has submitted its questionnaire response only on 15th of November, 2021 i.e., with a delay of 28 days. It is further noted that for filing a delayed response by the said producer/exporter, no extension request was sought from the Authority which simply means that the deadline for filing the response ended on 17th of October, 2021. Had the producer/exporter would have sought any extensions regarding filing of response on a reasonable ground, the Authority might have been in a position to accept the same. Contrary, no positive action from the said producer/exporter was ever initiated. However, it is also not denied that the said producer/exporter has tried cooperating with the Authority by filing its response in a case where no other producers/exporters from China PR have cooperated. The Authority appreciates this fact but at the same time is also aware that the response has been filed with a significant delay and without providing any cogent reasons and is also deficient thereby the same cannot be accepted. In view of the above, the Authority finds no merit in the arguments of the producer/exporter with regard to rejection of its questionnaire response and maintains its decision to disregard/reject the response filed by M/s Inner Mongolia.
106. With regard to the submission made by the applicant domestic industry on the computation of the non-injurious price and the disclosure thereof, the Authority notes that non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III of the Rules and the consistent practice of the Authority and the same has been disclosed to the applicant domestic industry.
107. With regard to the submission on the public interest, It is noted that all submissions made on public interest have been duly considered.
108. With regard to the submission of the domestic industry regarding non-disclosure of certain essential facts, the Authority notes that all the facts considered by the Authority for arriving at the conclusion have been adequately disclosed in the disclosure statement.

N. CONCLUSION

109. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

- a. There is continued dumping of the subject goods from the subject country.
- b. There is high export orientation of the Chinese producers.
- c. The Chinese producers of the subject goods hold huge idle capacities with them, which account for more than double of total Indian demand.
- d. Almost entirety of Chinese exports to third countries, accounting for more than twice the Indian demand of subject goods, are at dumped prices.
- e. Significant proportion of Chinese exports to third countries are at injurious prices.
- f. More than 90% of Chinese exports to third countries are at prices below export prices to India.
- g. All these factors of third country dumping huge idle capacities, price attractiveness of the Indian exports and significant exports despite prevailing existence of anti-dumping duty clearly demonstrate likelihood of continuation of dumping and aggravation of injury to the domestic industry in case of withdrawal of the anti-dumping duty.
- h. Factors such as no demand-supply gap, no participation of users, minimal impact of anti-dumping duty on end products and inter-se competition among Indian producers establish that there may not be any adverse effect of duties on the consumers or downstream industry.

O. RECOMMENDATION

110. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the applicant, exporters and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having concluded that there is likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty is required on the imports of subject goods from China PR.
111. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR. Anti-dumping equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below is recommended to be extended from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government for a period of five (5) years on all imports of the subject goods mentioned in Column 3 of the duty table from China PR.

DUTY TABLE

SN	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29411030	Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate	China PR	Any country including China	Any	1.96	KG	US \$
2	29411030	Amoxicillin/ Amoxicillin Trihydrate	Any country other than China	China PR	Any	1.96	KG	US \$

P. FURTHER PROCEDURE

112. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority